



उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

(पूर्ण पीठ):

माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव,
माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्तिगण

रिट याचिका क्रमांक/2881/2005

याचिकाकर्ता: मोहम्मद अकबर, आयु लगभग 49 वर्ष,

पिता श्री मोहम्मद राशिद, अध्यक्ष/सभापति,

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर,

निवासी – के.के. रोड, महंतपारा, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक 4977/2004

याचिकाकर्ता: उमा शंकर शुक्ला, अध्यक्ष, जगदलपुर सहकारी विपणन संस्था मर्यादित एवं किसान राइस मिल, जगदलपुर — (एक सहकारी संस्था, जो छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत है), पंजीयन क्रमांक DR/BTR/5 दिनांक 15/12/1959

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:



1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव कृषि एवं सहकारिता विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लभांडी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रिट **याचिका** **क्रमांक** **318/2005**

याचिकाकर्ता: सुखराम कर्मा उर्फ सुखकुराम कर्मा, पिता स्व. धुर्वा, आयु लगभग 71 वर्ष, पूर्व अध्यक्ष, जनजातीय सहकारी विपणन संस्था "मर्यादित", दंतेवाड़ा, ग्राम पूसपाल, तहसील दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

रिट **याचिका** **क्रमांक** **1662/2005**

याचिकाकर्ता: सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, कवर्धा, द्वारा अजित चंद्रवंशी, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता श्री जगदीश चंद्रवंशी, अध्यक्ष, सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, कवर्धा, जिला कबीरधाम

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राज्य छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. कलेक्टर, कवर्धा, जिला कबीरधाम
4. प्रबंधक (व्यवस्थापक), सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, मंडी परिसर, कवर्धा, जिला कबीरधाम
5. उप पंजीयक, सहकारी संस्था, कवर्धा, जिला कबीरधाम

रिट याचिका क्रमांक 3580/2004

याचिकाकर्ता: डमरुधर यादव, आयु लगभग 48 वर्ष, पिता स्व. बुध्दू राम यादव, अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)



विरुद्ध

उत्तरवादीगणः

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राज्य छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. कलेक्टर, रायगढ़, तथा जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़ हेतु नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी
4. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
5. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुनकर संघ के सामने, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक 4340/2005

याचिकाकर्ता: मोहन लाल पटेल, आयु लगभग 56 वर्ष, अनुसूचित जाति, पिता स्व. उदय राम पटेल, अध्यक्ष, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगणः

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राज्य छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राज्य छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. उप पंजीयक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
5. जिला सहकारी विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका सं. 4340 / 2005

याचिकाकर्ता:

मोहनलाल पटेल, आयु लगभग 56 वर्ष, अनुसूचित जाति, पिता स्वर्गीय श्री उदयराम पटेल, अध्यक्ष, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगणः

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)



2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. उप पंजीयक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
5. जिला सहकारी विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका सं. 4953 / 2005

याचिकाकर्ता: परमानंद, पिता श्री लक्ष्मीप्रसाद पटेल, आयु लगभग 54 वर्ष, पूर्व अध्यक्ष, अतिक्रमित विपणन सहकारी समिति मर्यादित, सारंगढ़, थाना एवं तहसील - सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका सं. 5479 / 2005

याचिकाकर्ता: रोहित कुमार साहू, पिता श्री चैतराम साहू, आयु लगभग 34 वर्ष, अध्यक्ष, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, तहसील - बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. उप पंजीयक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
5. जिला सहकारी विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)



रिट याचिका सं. 6135 / 2005

याचिकाकर्तागण:

1. गंगाराम सिन्हा, पिता श्री मुलाचंद, व्यवसाय – अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, सरकारा, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी – सरकारा, थाना – विथ्यदेही, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)
2. वीर सिंह, पिता श्री प्रताप सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय – अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, सोनासिली, निवासी – ग्राम सोनासिली, जिला महासमुंद
3. बत्तीस राम ठाकुर, पिता श्री नारायण, आयु लगभग 65 वर्ष, व्यवसाय – अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, बधिपाली, जिला महासमुंद
विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

4. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
5. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
6. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर (छत्तीसगढ़)
7. उप पंजीयक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, महासमुंद, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)
8. महासमुंद सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण समिति, महासमुंद, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका सं. 626 / 2006

याचिकाकर्ता: बाबूराम चंडेल, पिता स्वर्गीय श्री पीलाराम चंडेल, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी – जटाधरा, डाकघर – बरहापुर, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
4. सहकारी विपणन सहकारी समिति मर्यादित, धमधा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)



रिट याचिका सं. 3269 / 2004

याचिकाकर्ता: मोहनलाल पटेल, आयु लगभग 56 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री उदयराम पटेल, अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग — एक सहकारी संस्था, जो छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत है

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
 2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
 3. कलेक्टर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़), एवं जिला सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी
 4. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
- उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुनकर संघ के सामने, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

उपस्थित:

श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ, श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से, रिट याचिका सं. 3580/2004, 1662/2005, 2881/2005, 4340/2005 एवं 3269/2004 में प्रस्तुत हुए।

श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ, श्री अमृतो दास, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से, रिट याचिका सं. 4377/2004 में प्रस्तुत हुए।

श्री राहुल झा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से, रिट याचिका सं. 318/2005 में प्रस्तुत हुए।

श्री एस.एन. नांदे, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से, रिट याचिका सं. 4953/2005 में प्रस्तुत हुए।

श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से, रिट याचिका सं. 5479/2005 में प्रस्तुत हुए।

श्रीमती रेनू कोचर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से, रिट याचिका सं. 6135/2005 में प्रस्तुत हुए।

श्री आर.एस. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से, रिट याचिका सं. 626/2006 में प्रस्तुत हुए।



श्री रवीश चन्द्र अग्रवाल, महाधिवक्ता तथा श्री प्रशांत मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ, श्री उत्कर्ष वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता — राज्य छत्तीसगढ़ की ओर से प्रस्तुत हुए।

श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़ की ओर से प्रस्तुत हुए।

आदेश:

(दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 को पारित)

माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति द्वारा

मैंने अपने सह न्यायाधीश श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख द्वारा तैयार आदेश प्रारूप को पढ़ने का अवसर प्राप्त किया है। उक्त आदेश का समुचित परीक्षण करने के उपरांत, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं देशमुख न्यायाधीश के मत से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। अतः यह मेरा पृथक मत प्रस्तुत किया जा रहा है।

इन समस्त याचिकाओं में छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 22 का 2004) की संविधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। संक्षेप में, उक्त अधिनियम द्वारा किया गया संशोधन इस प्रकार है:

"धारा 49 का संशोधन — छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 का 1961), (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 49 में —

1. उपधारा (7AA) एवं (7AAA) को निरस्त किया जाएगा।
2. उपधारा (8) की उपविधियों (i) एवं (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा

"(8) यदि उपधारा (7A) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल अथवा पूर्व में निरस्त उपधारा (7AA) के अधीन बढ़ाए गए कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन नहीं कराए जाते हैं, तो समिति के समस्त सदस्य अपने पदों से स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे तथा समिति की समस्त शक्तियाँ पंजीयक में निहित मानी जाएंगी। पंजीयक यथासंभव शीघ्र निर्वाचन कराएगा।

परन्तु यह उपबंधित है कि, पंजीयक किसी अधिकारी को समिति की वह समस्त शक्तियाँ प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकेगा, जो इस उपधारा के अधीन उसमें निहित मानी गई हैं, तथा ऐसा अधिकारी उक्त प्राधिकरण की तिथि से वह शक्तियाँ प्रयोग करेगा।"

पृष्ठभूमि:—

मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960, (जिसे आगे "अधिनियम, 1960" कहा गया है) दिनांक 15 मई 1962 को प्रवृत्त हुआ। यह विधि निम्नलिखित उद्देश्य एवं कारणों के आधार पर अधिनियमित की गई थी —



"वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य की विभिन्न इकाइयों में सहकारिता विषयक भिन्न-भिन्न विधियाँ लागू हैं। सम्पूर्ण राज्य के लिए एक समान विधि लागू करने तथा सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ एवं विकसित करने, तथा आवश्यकता पड़ने पर राज्य की भागीदारी सहित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक नवीन सहकारिता विधि बनाए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है।"

तत्पश्चात्, संशोधन अधिनियम सं. 12 का 1994 द्वारा, अधिनियम 1960 की उद्देशिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया :

"एक अधिनियम, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को स्व-सहायता एवं पारस्परिक सहयोग के आधार पर लोकतांत्रिक साधनों एवं जनसंस्थाओं के रूप में संगठित करना एवं उनका विकास करना है; शोषण को समाप्त करना तथा समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों पर विशेष बल देते हुए जनसामान्य का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।"

अधिनियम, 1960 में समय-समय पर संशोधन किए गए, तथापि इसका मूल उद्देश्य यथावत् बना रहा — अर्थात् सहकारी संस्थाओं को एक प्रभावी लोकतांत्रिक साधन के रूप में संगठित करना एवं उनका विकास करना, जिससे शोषण पर नियंत्रण हो तथा समाज को, विशेषकर दुर्बल वर्गों को, सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके।

धारा 49 अधिनियम, 1960 में एक केन्द्रीय भूमिका निभाती है। मूल अधिनियम की धारा 49 निम्नानुसार है:

"49. वार्षिक साधारण सभा —

1. प्रत्येक सहकारी संस्था की एक साधारण सभा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित होगा —
 - (a) आगामी वर्ष हेतु समिति द्वारा तैयार की गई गतिविधियों की रूपरेखा का अनुमोदन।
 - (b) यदि आवश्यक हो, तो समिति के सदस्यों का निर्वाचन, नियमानुसार।
 - (c) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
 - (d) शुद्ध लाभ का निपटान।
 - (e) ऐसे अन्य विषयों पर विचार, जो संस्था के उपविधियों के अनुसार सभा में प्रस्तुत किए जा सकें।
2. ऐसी सभा की सूचना उस जिले के सहायक पंजीयक को दी जाएगी, जिसमें संस्था स्थित हो, और यह सूचना सभा की तिथि से कम से कम 14 स्पष्ट दिवस पूर्व प्रेषित की जाएगी।
3. सहायक पंजीयक स्वयं ऐसी सभा में उपस्थित हो सकता है अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उपस्थित होने हेतु नामित कर सकता है।
4. सहायक पंजीयक या उनके द्वारा नामित अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह उपधारा (1) की उपविधियों (a), (b), (c), (d) एवं (e) से संबंधित किसी भी विषय पर सभा को संबोधित कर सके।"



लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपर्युक्त प्रावधान में समय-समय पर संशोधन किए गए, और इसका विकासक्रम अब भी निरंतर गतिमान प्रतीत होता है।

संशोधन अधिनियम क्रमांक 8 का 1970 द्वारा

“धारा 49 का संशोधन — मूल अधिनियम की धारा 49 में

(a) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —
“(1) प्रत्येक संस्था, अपनी पिछली वार्षिक साधारण सभा की तिथि से बारह मास की अवधि के भीतर, अपने सदस्यों की एक सामान्य सभा आयोजित करेगी, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित होगा —
 (a) आगामी वर्ष हेतु समिति द्वारा तैयार की गई गतिविधियों की रूपरेखा का अनुमोदन;
 (b) यदि समिति का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, तो समिति के सदस्यों का निर्वाचन नियमानुसार:

स्पष्टीकरण: यदि समिति का कार्यकाल उपविधियों के अनुसार वार्षिक साधारण सभा की तिथि से तीन मास के भीतर समाप्त हो रहा हो, या यदि अन्यथा नियमों अथवा उपविधियों के अधीन निर्वाचन अपेक्षित हो, तो ऐसा निर्वाचन **देय** माना जाएगा।

(c) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (यदि प्राप्त हो) एवं वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना;
 (d) शुद्ध लाभ का निपटान करना;
 (e) अन्य कोई भी विषय जिस पर संस्था की उपविधियों के अनुसार विचार किया जाना हो; तथा
 (f) यदि आवश्यक हो, तो संस्था का प्रतिनिधित्व करने हेतु अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना।

उपबंध: पंजीयक ऐसी सभा आयोजित करने की निर्धारित अवधि को, तीन मास से अधिक न होते हुए, अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है।”

(b) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् —
“(5) यदि उपधारा (1) के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर सामान्य सभा नहीं बुलाई जाती है, अथवा उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जाता है, तो पंजीयक, आदेश द्वारा, उस अधिकारी को, जिसकी यह उत्तरदायित्व था कि वह ऐसी सभा बुलाए या उपधारा (1) के प्रावधानों का पालन करे, एवं जो उचित कारण के अभाव में उक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा हो, निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर सकेगा अथवा उस पद पर नियुक्त रहने से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक के लिए अपात्र घोषित कर सकेगा, जो कि वह अपने आदेश में निर्दिष्ट करेगा।

और यदि वह अधिकारी संस्था का कर्मचारी है, तो उस पर **अधिकतम पाँच सौ रुपये** तक का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।



उपबंध: इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान न किया गया हो।"

संशोधन अधिनियम क्रमांक 14 का 1976 द्वारा:

"धारा 49 का संशोधन — मूल अधिनियम की धारा 49 में —

(i) उपधारा (1) की उपविधि (f) के स्थान पर निम्नलिखित उपविधि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —
(f) "अगले सहकारी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करना"।

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् —

(6) यदि किसी संस्था की उपविधियों में समिति के समस्त अथवा कुछ सदस्यों का निर्वाचन **क्षेत्रीय आधार** पर करने का प्रावधान है, तो ऐसे समिति के सदस्य उस क्षेत्र के सदस्यों की बैठक में संस्था की उपविधियों के अनुसार, **वार्षिक साधारण सभा की तिथि से पूर्व** निर्वाचित किए जाएंगे। उक्त निर्वाचन का परिणाम संस्था के सूचना फलक पर तथा वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व सभा स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(7) प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में समिति संस्था के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों, उनके पारिवारिक सदस्यों एवं निकट संबंधियों के नाम पर पूर्ववर्ती वर्षों में लंबित ऋणों अथवा अग्रिमों का विवरण अंकित होगा।

स्पष्टीकरण: उपधारा (7) के प्रयोजन हेतु "पारिवारिक सदस्य" एवं "निकट संबंधी" में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित माने जाएंगे —

पत्नी, पति, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पितामह, पितृ पक्ष के चाचा, पितृ पक्ष की बुआ, मातामह, मातृ पक्ष के मामा या मामी, पितृ पक्ष की बुआ के पुत्र या पुत्री, मातृ पक्ष के मामा या मामी के पुत्र या पुत्री, भाई के पुत्र या पुत्री, पुत्रवधू, कन्या का पति, पुत्र का पुत्र या पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री, पत्नी के माता-पिता, पत्नी के भाई या बहन, पत्नी की बहन के पुत्र या पुत्री, पति का भाई, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई के पुत्र या पुत्री।

(8) यह संस्था की **गत समिति** का दायित्व होगा कि वह संस्था की उपविधियों में विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व आगामी समिति के लिए निर्वाचन कराए। यदि समिति निर्वाचन कराने में विफल रहती है और उपविधियों में निर्धारित तिथि को कार्यभार हस्तांतरित नहीं करती है, तो समिति के **सभी सदस्य अपने पदों से पदमुक्त माने जाएंगे**, और पंजीयक तब तक कार्यभार ग्रहण करेगा जब तक कि आगामी निर्वाचन संपन्न न हो जाएं एवं नवीन समिति कार्यभार ग्रहण न कर ले।

संशोधन अधिनियम क्रमांक 5 का 1978 द्वारा

धारा 49 का संशोधन—

मूल अधिनियम की धारा 49 में—



(i) उपधारा (1) में,—
(a) उपविधि (f) के पश्चात् निम्नलिखित उपविधि जोड़ी जाएगी, अर्थात्—
'(g) यदि हो तो संस्था का प्रतिनिधित्व करने हेतु अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना।'

(b) वर्तमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
यह उपबंधित है कि पंजीयक, उस बैठक को जिसमें समिति के कार्यकाल (जैसा कि उपधारा (7-A) में विनिर्दिष्ट है) की समाप्ति पर निर्वाचन होना है, अधिकतम तीन मास की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है।

(ii) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्—

(7-A) इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा संस्था की उपविधियों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी—

(i) समिति का कार्यकाल,
(ii) उपधारा (1) की उपविधि (g) के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल,
उस वार्षिक साधारण सभा अथवा विशेष साधारण सभा, जैसा भी हो, की तिथि से तीन वर्ष होगा जिसमें निर्वाचन हुआ हो:

यह उपबंधित है कि, यदि किसी श्रेणी की संस्थाओं की समितियों के कार्यकाल में एकरूपता लाने के उद्देश्य से आवश्यक हो, तो राज्य शासन सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि पदधारी समिति का कार्यकाल आदेश में निर्दिष्ट तिथि को समाप्त होगा:

यह भी उपबंधित है कि उक्त उपबंध की वैधता 24 नवम्बर, 1978 को समाप्त हो जाएगी।

(7-B) उपधारा (7-A) के पहले उपबंध के अधीन आदेश जारी किए जाने पर, पंजीयक, संस्था के कार्यों के प्रबंधन हेतु किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, जब तक कि नवीन निर्वाचन न हो जाए और समिति कार्यभार ग्रहण न कर ले। नवीन निर्वाचन यथासंभव शीघ्र कराए जाएंगे और हर स्थिति में, उक्त आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर कराए जाना अनिवार्य होगा।

(7-C) उपधारा (7-B) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर, धारा 53 की उपधाराएँ (4), (5) और (6) उसी प्रकार लागू होंगी, जिस प्रकार वे उक्त धारा के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर लागू होती हैं।

(iii) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

(8) संस्था की निवर्तमान समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उपधारा (7-A) में निर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व आगामी समिति के लिए निर्वाचन संपन्न कराए। यदि समिति निर्वाचन कराने में विफल रहती है तथा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि को कार्यभार हस्तांतरित नहीं करती है, तो समिति के सभी सदस्य अपने पदों से पदमुक्त माने जाएंगे और पंजीयक तब तक कार्यभार ग्रहण करेगा जब तक कि आगामी निर्वाचन संपन्न न हो जाएँ और नवीन समिति कार्यभार ग्रहण न कर ले।



संशोधन अधिनियम क्रमांक 7 का 1979 द्वारा

धारा 49 का संशोधन —

मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 का 1961) की धारा 49 की उपधारा 7-B में, "किसी भी स्थिति में उक्त आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 1979 तक" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संशोधन अधिनियम क्रमांक 5 का 1980 द्वारा

धारा 49 का संशोधन —

मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 का 1961) की धारा 49 की उपधारा 7-B में, "किसी भी स्थिति में 30 जून 1980 तक" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर "किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 1980 तक" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और ऐसा माना जाएगा कि यह प्रतिस्थापन 12 अप्रैल 1979 से प्रभावशील रहा है।

संशोधन अधिनियम क्रमांक 3 सन् 1982 एवं क्रमांक 28 सन् 1982 द्वारा:

"धारा 49 का संशोधन—

मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 में—

- (a) उपधारा (7-A) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्—
 "(7-AA) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, उसमें उल्लिखित कारणों से, निम्नलिखित में से किसी का कार्यकाल समय-समय पर, अधिकतम एक वर्ष की कुल अवधि तक बढ़ा सकता है—
 (i) किसी समिति अथवा समितियों के वर्ग की समिति का; या
 (ii) उपधारा (1) के खंड (g) के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि का, जैसा कि उपधारा (7-A) में विनिर्दिष्ट है।"

(b) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—
 "(8) यह निवृत्त समिति का कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (7-A) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल अथवा उपधारा (7-AA) के अंतर्गत विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, नवगठित समिति के निर्वाचन कराए। यदि समिति चुनाव कराने में विफल रहती है और कार्यकाल समाप्त होने पर कार्यभार हस्तांतरित नहीं करती है, तो समिति के सभी सदस्य अपनी सीटों से पदच्युत माने जाएंगे तथा रजिस्ट्रार आगामी निर्वाचन तक कार्यभार ग्रहण करेगा और नवनिर्वाचित समिति के कार्यभार ग्रहण करने पर कार्यभार हस्तांतरित किया जाएगा।"

धारा 49 का संशोधन:

मूल अधिनियम की धारा 49 में—

- (a) उप-धारा (7-A) में, खंड (i) एवं (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—



(i) समिति का कार्यकाल उस वार्षिक सामान्य सभा अथवा विशेष सामान्य सभा की तिथि से तीन वर्ष का होगा, जिसमें चुनाव संपन्न हुआ हो;

(ii) उप-धारा (1) के खंड (g) के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस समिति के कार्यकाल के साथ सह-समाप्तिक (co-terminus) होगा, जिसके लिए वह प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ है;

(b) उप-धारा (7-B) में "किसी भी स्थिति में 30 जून 1982" के स्थान पर "किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर 1983" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

संशोधन अधिनियम संख्या 3, सन् 1985 के अनुसार:

धारा 49 का संशोधन:
मूल अधिनियम की धारा 49 में—

(1) उप-धारा (1) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी और इसे दिनांक 1 जनवरी 1983 से प्रविष्ट माना जाएगा, अर्थात्:—

(1A) समिति के सदस्यों तथा प्रतिनिधियों (यदि कोई हो), जो कि समाज को किसी अन्य समाज में प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित होते हैं, के चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कराए जाएंगे।

(2) उप-धारा (7-B) में "31 दिसंबर 1984" के स्थान पर "30 जून 1985" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

संशोधन अधिनियम संख्या 23, सन् 1986 के अनुसार:

धारा 49 का संशोधन:
मूल अधिनियम की धारा 49 में—

(a) उप-धारा (2), (3) एवं (4) में "सहायक पंजीयक" के स्थान पर "उप/सहायक पंजीयक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(b) उप-धारा (7) में विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण: उप-धारा (7) के प्रयोजनों के लिए, परिवार सदस्य एवं निकट संबंधी में पत्नी, पति, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, दामाद, पत्नी का भाई, बहन का पति, पत्नी की बहन, भाई की पत्नी एवं बहू सम्मिलित माने जाएंगे।"

(c) उप-धारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(8)(i) निवर्तमान समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उप-धारा (7-A) में निर्दिष्ट कार्यकाल या उप-धारा (7-AA) के अंतर्गत बढ़ाए गए कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव संपन्न कराए। समिति को रिटर्निंग



ऑफिसर की नियुक्ति हेतु पंजीयक से यथासंभव समय पर— किंतु किसी भी स्थिति में कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम तीन माह पूर्व— आवेदन करना होगा।

(ii) यदि समिति चुनाव कराने में विफल रहती है और उप-धारा (7-A) या उप-धारा (7-AA) में निर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति पर कार्यभार पंजीयक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को नहीं सौंपती है, तो समिति के सभी सदस्य अपने पदों से त्थक्त माने जाएंगे, और पंजीयक कार्यभार संभालकर यथाशीघ्र चुनाव संपन्न कराएंगे।

संशोधन अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1988 के अनुसार:

<u>धारा</u>	<u>49</u>	<u>का</u>	<u>संशोधन:</u>
-------------	-----------	-----------	----------------

मूल अधिनियम की धारा 49 में—

(i) उप-धारा (1) के खंड (g) को विलोपित किया जाएगा;

(ii) उप-धारा (1-A) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1-A) समिति के सदस्यों का चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा समाज के उपविधियों में उल्लेखित किसी भी बात के बावजूद, प्रतिनिधियों का चुनाव समिति द्वारा अपने मध्य से किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि किसी संसाधन समाज (resource society) में, कुल सदस्यों की संख्या का आधे से कम नहीं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हो, तो—

(a) संसाधन समाजों में प्रतिनिधित्व के लिए, प्रतिनिधि केवल ऐसे सदस्यों की समिति में से होगा जो उक्त जातियों एवं जनजातियों से संबंधित हों; तथा

(b) गैर-संसाधन समाजों के प्रतिनिधित्व के लिए, प्रतिनिधि समिति के किसी भी सदस्य में से हो सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या जनजाति से संबंधित हो।

(iii) उप-धारा (5) में—

(a) "पाँच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पाँच हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(b) उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

'परंतु इस उप-धारा के अंतर्गत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सहकारी समितियों के संयुक्त पंजीयक के पद से नीचे नहीं के अधिकारी द्वारा सुनवाई का यथोचित अवसर न दिया जाए।';



(iv) उप-धारा (7) में वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

स्पष्टीकरण— उप-धारा (7) के प्रयोजन हेतु परिवार सदस्य में पत्नी, पति और आश्रित संतानें सम्मिलित होंगी।

(v) उप-धारा (7-A) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

‘(7-A) (i) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, समिति का कार्यकाल उस तिथि से पाँच वर्ष का होगा जिस दिन समिति की प्रथम बैठक आयोजित की जाती है, और यह कार्यकाल उक्त अवधि की समाप्ति तक जारी रहेगा;

(ii) समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस समिति के कार्यकाल के साथ सह-समाप्तिक होगा जिसमें वह निर्वाचित हुआ है:

परंतु यदि धारा 53 के अंतर्गत निलंबित या विघटित की गई कोई समिति किसी न्यायालय या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से पुनः बहाल की जाती है, तो समिति के निलंबन या विघटन की अवधि को उक्त पूर्ण कार्यकाल की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।’

(vi) उप-धारा (7-AA) में "अठारह माह" शब्दों के स्थान पर "चौबीस माह" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और यह प्रतिस्थापन दिनांक 7 मई, 1988 से प्रभावशील माना जाएगा;

(vii) उप-धारा (7-AA) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्—

‘(7-AAA) उप-धारा (7-AA) में निर्दिष्ट अधिकतम अठारह माह की अवधि की समाप्ति के बावजूद, उन समितियों के संदर्भ में, जिनकी अवधि 7 मई 1988 (जिसे आगे "उक्त तिथि" कहा गया है) से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश सहकारी समितियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक है, ऐसी समितियों की अवधि को उक्त तिथि से छह माह की अवधि तक बढ़ा हुआ माना जाएगा, जैसे कि इस अवधि के विस्तार की अधिसूचना उक्त तिथि को उप-धारा (7-AA) के अधीन जारी की गई हो।’

(viii) उप-धारा (7-B) तथा (7-C) को विलोपित किया जाएगा।

(ix) उप-धारा (8) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

‘परंतु यदि समाज की निवर्तमान समिति ने कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्ताव पारित कर तथा निवेदन करके पंजीयक से चुनाव कराए जाने का अनुरोध किया हो और पंजीयक उस अनुरोध पर चुनाव कराने में विफल रहता है, तो पंजीयक समिति का प्रभार ग्रहण नहीं करेगा और समिति के सदस्य अपने पदों पर बने रहेंगे।’

संशोधन अधिनियम संख्या 14, 1990 द्वारा:—



धारा 49 का संशोधन: मुख्य अधिनियम की धारा 49 :—

(i) उप-धारा (1) के खंड (b) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: "(b) समिति के सदस्यों सहित प्रतिनिधियों का चुनाव, यदि वह नियत हो गया हो।"

(ii) उप-धारा (1-A) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: "(1-A) समिति के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति और प्रतिनिधियों (यदि कोई हों) का चुनाव प्राधिकृत निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।"

(iii) उप-धारा (7-A) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: "(7-A(1)

(a) यदि कहीं और अन्यथा उपबंधित न हो, तो समिति का कार्यकाल उस तिथि से तीन वर्ष होगा जिस तिथि को उसका पहला बैठक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उप सभापति के निर्वाचन के लिए आयोजित की जाती है, और यह कार्यकाल उस तिथि तक जारी रहेगा जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता।

(b) वह समिति जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारंभ के समय पद पर है, उसका कार्यकाल तीन वर्ष होगा, चाहे उसका निर्वाचन—

(i) उप-धारा (7-A) के खंड (i) के अंतर्गत तीन वर्ष के लिए हुआ हो जैसा कि यह 28 जून 1988 के ठीक पहले प्रभावी था; या

(ii) उक्त खंड के अंतर्गत पाँच वर्ष के लिए हुआ हो जैसा कि यह 26 अप्रैल 1990 के ठीक पहले प्रभावी था।

(ii) किसी प्रतिनिधि का कार्यकाल उस समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा जिसने उसे निर्वाचित किया है।

(iii) इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, धारा 19-A खंड (f), धारा 48 की उप-धाराएँ (3), (4), (5-A), (7) एवं (8), धारा 48-B तथा धारा 52-B के अंतर्गत किसी वर्ग की समिति अथवा आमसभा का गठन करने के उद्देश्य से राज्य शासन सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि—

(a) वर्तमान में कार्यरत समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या

(b) प्रतिनिधियों का निर्वाचन, चाहे उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ हो या नहीं, आदेश में निर्दिष्ट तिथि को निरस्त माना जाएगा।

(iv) खंड (iii) के अंतर्गत आदेश जारी होने पर, रजिस्ट्रार उस समिति के नए चुनाव संपन्न होने तथा समिति के कार्यभार ग्रहण करने तक एक या अधिक व्यक्तियों को समिति के कार्यों के संचालन हेतु नियुक्त करेगा। नए चुनाव



- (a) यदि आदेश मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारंभ से पूर्व जारी किया गया हो, तो उक्त प्रारंभ की तिथि से छह माह के भीतर; और
- (b) यदि आदेश उक्त प्रारंभ के पश्चात् जारी किया गया हो, तो आदेश की तिथि से छह माह के भीतर कराए जाएँगे।

(v) खंड (iv) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 53 की उप-धाराएँ (4), (5) एवं (6) उसी प्रकार लागू होंगी जिस प्रकार वे उक्त धारा के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होती हैं।"

(iv) उप-धारा (7-AA) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: "(7-AA) राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उसमें कारण दर्शाकर, किसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के कार्यकाल को समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु कुल अवधि बारह माह से अधिक नहीं होगी।"

(v) उप-धारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: "(8) यदि उप-धारा (7-A) में निर्दिष्ट कार्यकाल अथवा उप-धारा (7-AA) में बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो जाने के पूर्व चुनाव नहीं होते, तो समिति के सभी सदस्यों को उनका पद त्याग दिया हुआ माना जाएगा और समिति की समस्त शक्तियाँ रजिस्ट्रार में निहित मानी जाएँगी, जो संभव हो सके उतनी शीघ्रता से चुनाव कराएगा:

परंतु रजिस्ट्रार किसी अधिकारी को उस समिति की शक्तियाँ प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है, और वह अधिकारी उस तिथि से वह शक्तियाँ प्रयोग करेगा जिस दिन से वह प्राधिकृत किया गया हो।

(9) किसी भी शंका की निवृत्ति के लिए यह घोषित किया जाता है कि वह समिति जिसका कार्यकाल मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारंभ पर प्रथम प्रावधान के अंतर्गत जारी है, वह कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

(10) उप-धारा (9) में उल्लिखित प्रारंभ की तिथि पर समिति के सभी सदस्य त्यागपत्र दे चुके माने जाएँगे और समिति की समस्त शक्तियाँ रजिस्ट्रार में निहित मानी जाएँगी, जो संभव हो उतनी शीघ्रता से, परंतु उक्त प्रारंभ से एक माह के भीतर, चुनाव कराएगा:

परंतु रजिस्ट्रार किसी अधिकारी को उस समिति की शक्तियाँ प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है, और वह अधिकारी उस तिथि से वह शक्तियाँ प्रयोग करेगा जिस दिन से वह प्राधिकृत किया गया हो।"

धारा 49(8) में निहित उपबंधों को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा "अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य"¹ वाद में निरस्त कर दिया गया।

संशोधन अधिनियम क्रमांक 12, 1994 द्वारा:

"धारा 49 का संशोधन – मुख्य अधिनियम की धारा 49 में–

¹ 1993(2)MPJR 33



- (i) उप-धारा (1) के खंड (b) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(b) यदि आवश्यक हो गया हो, तो समिति के सदस्यों का निर्वाचन।

स्पष्टीकरण – यदि समिति का कार्यकाल वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर समाप्त हो रहा हो, तो समिति का निर्वाचन आवश्यक माना जाएगा।"

- (ii) उप-धारा (7-A) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् –
 "(7-A)(i) समिति का कार्यकाल उस तिथि से पाँच वर्ष का होगा, जिस तिथि को समिति की प्रथम बैठक आयोजित की जाती है:

परंतु यह उपबंधित है कि, यदि किसी समिति को इस अधिनियम के अधीन पदच्युत, निलंबित अथवा अपसारित किया गया हो और वह किसी न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश के फलस्वरूप पुनः स्थापित की गई हो, तो वह अवधि, जिसमें समिति पदच्युत, निलंबन अथवा पदत्याग की स्थिति में रही हो, समिति के कार्यकाल की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

- (iii) समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उसी समिति के कार्यकाल के साथ सह-अवधि होगा, जिसके लिए वह निर्वाचित किया गया है:

परंतु यह उपबंधित है कि, कोई भी प्रतिनिधि उस समिति के कार्यकाल की समाप्ति तक अपने पद पर बना रहेगा, जिसकी वह सदस्यता करता है।"

- (iii) उप-धारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् –
 "(8)(i) यह समिति का दायित्व होगा कि वह उप-धारा (7-A) अथवा उप-धारा (7-AA) में निर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन कराना सुनिश्चित करे।

समिति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 90 दिवस पूर्व निर्वाचन कराने हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा:

यह उपबंधित है कि, यदि समिति ने कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 90 दिवस पूर्व प्रस्ताव पारित कर रजिस्ट्रार से निर्वाचन कराने का निवेदन किया हो, और रजिस्ट्रार उक्त निवेदन के अनुसार निर्वाचन कराने में विफल रहा हो, तो रजिस्ट्रार समिति का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा और समिति के सदस्य अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे:

और यह भी उपबंधित है कि, यदि रजिस्ट्रार समिति के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 90 दिवस के भीतर निर्वाचन नहीं कराता है, तो ऐसी स्थिति में समिति द्वारा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 180 दिवस के भीतर निर्वाचन संपन्न कराएगा।



(ii) यदि समिति निर्वाचन कराने में विफल रहती है और कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात (7-A) अथवा (7-AA) के अंतर्गत रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को कार्यभार नहीं सौंपती है, तो समिति के समस्त सदस्यों को पदत्यागी माना जाएगा, और रजिस्ट्रार कार्यभार ग्रहण कर लेगा तथा यथाशीघ्र निर्वाचन कराएगा।"

(iv) उप-धारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् –
"(9)(a) प्रत्येक सहकारी संस्था की प्रत्येक सामान्य सभा तथा समिति की प्रत्येक अन्य बैठक की कार्यवाही का अभिलेख कार्यवृत्त-पुस्तिका में संधारित किया जाएगा।

(b) उक्त कार्यवृत्त बैठक की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर, बैठक में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को वितरित किए जाएंगे।

(c) उक्त संधारित कार्यवृत्त पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसने संबंधित बैठक की अध्यक्षता की हो।"

(v) उप-धारा (10) को विलोपित किया जाएगा।

संशोधन अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1999 द्वारा :-

"धारा 49 का संशोधन। अधिनियम की धारा 49 में, –

(i) उपधारा (1) में, शब्दों "प्रत्येक समिति को अपनी अंतिम वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से बारह माह की अवधि के भीतर अपने सदस्यों की एक सामान्य सभा बुलानी होगी, जिसका उद्देश्य" के स्थान पर, शब्द "प्रत्येक समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह पूर्व अपने सदस्यों की एक सामान्य सभा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बुलानी होगी।" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उपधारा (1) की प्रथम उपवाक्य के बाद, निम्नलिखित द्वितीय उपवाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
"यह भी उपबंधित किया गया है कि ऐसी समिति के संबंध में जिसके विरुद्ध धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन का आदेश पारित किया गया है, उसके लिए वार्षिक सामान्य सभा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।"

संशोधन अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2003 (छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा अधिनियमित):-

"धारा 49 का संशोधन। अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (7-AA) में, "बीस चार" शब्दों के स्थान पर "छत्तीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

उपरोक्त इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किया गया, और जब संशोधन अधिनियम क्रमांक 14 सन् 1990 की धारा 49(8) को न्यायालय में चुनौती दी गई, तब उसे असंवैधानिक घोषित किया गया, किंतु तत्पश्चात संशोधन अधिनियम क्रमांक 12 सन्



1994 द्वारा विधि को वैध किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आक्षेपित संशोधन किए जाने से पूर्व 1994 के संशोधित प्रावधान तथा उसके बाद के संशोधन प्रभावशील थे।

यह स्पष्ट है कि पूर्व में, जब संशोधन अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1988 विधि का भाग नहीं था, तब समिति को यह अधिकार नहीं था कि वह चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने तक पद पर बनी रहे, यदि निर्वाचन कराने में रजिस्ट्रार की ओर से चूक हुई हो।

1994 के संशोधन के उपरांत पुनः रजिस्ट्रार को कुछ पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ पद धारण करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। पूर्ववर्ती व्यवस्था में समिति द्वारा पद धारण करने की अवधि अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित नहीं थी, जिसे बाद में तीन (3) वर्ष किया गया और वर्तमान में यह अवधि पाँच (5) वर्ष कर दी गई है। समिति के सुचारु संचालन हेतु नियम और उपविधियाँ भी निर्धारित की गई हैं, जिनमें बैठकें बुलाने एवं चुनाव संपन्न कराने की पूर्ण योजना तथा प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से विन्यस्त किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने आक्षेपित संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त)* प्रकरण में वर्ष 1993 में पूर्ववर्ती संशोधन को निरस्त कर दिया था, जिसे अब छत्तीसगढ़ राज्य पुनः संशोधन के माध्यम से लागू करना चाहता है; अतः छत्तीसगढ़ विधानसभा इस प्रकार से विधि को पुनः गढ़ने की न तो अधिकारयुक्त थी और न ही सक्षम थी। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित संशोधन लोकनीति के विरुद्ध, मनमाना, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला तथा संविधान की आत्मा के प्रतिकूल है।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (जिसे आगे "अधिनियम, 2000" कहा जाएगा) 1 नवम्बर, 2000 से प्रभाव में आया, जिसने तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य को दो राज्यों में विभाजित कर दिया; (1) मध्यप्रदेश राज्य तथा (2) छत्तीसगढ़ राज्य। तदनुसार, संविधान में विधायिका में प्रतिनिधित्व से संबंधित आवश्यक संशोधन अधिनियम, 2000 के भाग-III में समाहित किए गए। 1 नवम्बर, 2000 से छत्तीसगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आई और उसे विधि बनाने अथवा संशोधित करने का निर्विवाद और पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अधिनियम, 2000 की धारा 79 भी सक्षम विधानमंडल द्वारा विधि में संशोधन हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त अधिकार प्रदान करती है, जिसकी भाषा इस प्रकार है:

"धारा 79. विधियों के अनुरूप अनुकूलन की शक्ति -
 किसी भी विधि, जो नियुक्त तिथि से पूर्व बनाई गई हो, के मध्यप्रदेश अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में अनुप्रयोग की सुविधा के लिए, उपयुक्त सरकार, उक्त तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आदेश द्वारा, ऐसी विधि में आवश्यक अथवा उपयुक्तानुसार, निरसन या संशोधन के रूप में, अनुकूलन तथा परिवर्तन कर सकती है, और तत्पश्चात ऐसी प्रत्येक विधि उक्त अनुकूलन और परिवर्तनों के अधीन प्रभावशील रहेगी, जब तक कि उसे सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिया जाए।

स्पष्टीकरण— इस धारा में "उपयुक्त सरकार" का अर्थ है : संघ सूची में वर्णित किसी विषय से संबंधित विधि के संबंध में केंद्र सरकार, तथा किसी अन्य विधि के किसी राज्य में अनुप्रयोग के संदर्भ में, वह राज्य सरकार।



याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई. एन. सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य² तथा मिसेज उजागर प्रिंट्स एवं अन्य (भाग द्वितीय) बनाम भारत संघ एवं अन्य³ के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लाया गया आक्षेपित संशोधन, अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त) मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के निवारक या निरस्त प्रभाव को अपनाए बिना किया गया था। अतः यह संशोधन विधिक क्षेत्र में बना नहीं रह सकता।

दूसरी ओर, राज्य ने उक्त दलील का विरोध किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आई. एन. सक्सेना प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"जहाँ एक ओर विधायी तथा न्यायिक कार्यों में भेद की दृष्टि से यह स्वीकार किया गया है कि विधानमंडल मात्र एक घोषणा द्वारा, बिना अन्य किसी उपाय के, किसी न्यायिक निर्णय को सीधे अस्वीकृत, पलट या निष्प्रभावी नहीं कर सकता, वहीं यह भी स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 245 एवं 246 द्वारा प्रदत्त व्यापक विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधानमंडल किसी विषय पर वैध विधि बनाकर — जो उसके विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आता हो — ऐसे निर्णय को अप्रभावी बना सकता है, यदि वह विधि उस निर्णय के आधारभूत तत्वों को मूल रूप से परिवर्तित करती हो या उसे पूर्वव्यापी, प्रतिपूरक अथवा निष्प्रभावी प्रभाव के साथ बदलती हो।"

यह एक सुस्थापित विधिक प्रवृत्ति है कि किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित निर्णय अथवा आदेश को, उसके आधार को विधायी अधिनियम के माध्यम से परिवर्तित कर अप्रभावी बना देना, सभी वैधकारी अधिनियमों की सामान्य विशेषता रही है। इस प्रकार के वैधकारी विधायन, जो किसी कार्यवाही अथवा कृत्य की अप्रभाविता अथवा अमान्यता के कारणों को समाप्त कर देते हैं, न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं माने जाते।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स उजागर प्रिंट्स विरुद्ध भारत संघ (पूर्वोक्त³) के प्रकरण में यह निर्णय दिया है:

"सक्षम विधानमंडल, न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित की गई विधि को, उस स्थिति में सदैव वैध कर सकता है, जब निर्णय में चिन्हित दोषों एवं विघटनकारी तत्वों को दूर कर दिया गया हो। ऐसी वैधकारी विधि को पूर्वव्यापी प्रभाव से भी अधिनियमित किया जा सकता है। यदि विधायिका द्वारा इस प्रकार के वैधकारी और उपचारात्मक उपायों के आलोक में, पूर्ववर्ती निर्णय अप्रासंगिक और अनुप्रवर्तनीय हो जाता है, तो इसे न्यायिक निर्णय का अवैध विधायी अपलोपन नहीं माना जा सकता। विधायिका केवल एक वैध विधि को पूर्वव्यापी प्रभाव सहित लागू करती है, जिसके प्रकाश में पूर्ववर्ती निर्णय अप्रासंगिक हो जाता है। विधायन के इस प्रकार के वैधकरण की विधिक युक्ति विशेष रूप से कराधान से संबंधित विधियों में महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। न्यायालय, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, विधायिका द्वारा पूर्वव्यापी विधायन की आवश्यकता एवं उसकी विवेकशीलता के संबंध में किए गए निर्णय को प्रतिस्थापित करने में संकोच करता है।"

यह स्पष्ट है कि यदि किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि को, उसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया हो, तो वही विधानमंडल, न्यायालय द्वारा इंगित दोषों को दूर कर वैधकारी विधेयक

² (1976) 4 SCC 750

³ (1989) 3 SCC 488



अधिनियमित करने के लिए सक्षम होती है। वर्तमान प्रकरण में, मध्यप्रदेश विधानमंडल द्वारा संशोधन अधिनियम क्रमांक 14, सन् 1990 अधिनियमित किया गया था, तथा उक्त अधिनियम की धारा 49(8) में सम्मिलित संशोधन को अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त ¹) के निर्णय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था।

यदि कोई वैधकारी विधेयक लाया जाना अपेक्षित होता, तो वह विधेयक केवल मध्यप्रदेश विधानमंडल द्वारा ही अधिनियमित किया जा सकता था; और यह कल्पना करना कि छत्तीसगढ़ राज्य की विधानमंडल — जो 01 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आई तथा जो अधिनियम क्रमांक 14, सन् 1990 की विधायी प्रक्रिया में सहभागी नहीं थी — उस वैधकारी विधेयक को पारित करने के लिए उत्तरदायी हो सकती है, विधिक दृष्टिकोण से अनुचित है।

छत्तीसगढ़ राज्य की विधानमंडल, आक्षेपित संशोधन विधेयक को अधिनियमित करने के लिए, अपनी विधायी क्षमता के साथ-साथ मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर पूर्णतः सक्षम थी। उन्हें अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त ¹) के निर्णय के अंतर्वस्तु में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी; और वैसे भी, न्यायालय द्वारा इंगित दोष को मध्यप्रदेश राज्य द्वारा संशोधन अधिनियम क्रमांक 12, सन् 1994 के माध्यम से धारा 49 में संशोधन कर समाप्त कर दिया गया था।

जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, उस समय अथवा उसके पश्चात्, न तो वह उपवाक्य जो धारा 49 की उपधारा (8) में सम्मिलित था —

"परंतु यह कि यदि समिति की निवर्तमान कार्यकारिणी ने रजिस्ट्रार से कम से कम तीन माह पूर्व निर्वाचन कराए जाने का संकल्प कर अनुरोध किया हो, और रजिस्ट्रार द्वारा उस अनुरोध पर निर्वाचन नहीं कराए गए हों, तो रजिस्ट्रार समिति का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तथा समिति के सदस्य अपने पदों पर बने रहेंगे,"

— जो संशोधन अधिनियम क्रमांक 14, सन् 1990 से पूर्व लागू था — प्रभाव में था; और न ही वह विधि, जो न्यायालय द्वारा संशोधन को निरस्त किए जाने के पश्चात् से लेकर संशोधन अधिनियम क्रमांक 12, सन् 1994 के प्रवर्तन तक लागू थी, अस्तित्व में थी।

छत्तीसगढ़ राज्य की विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों में संशोधन इस उद्देश्य से किया कि लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रह सकें, और यह कार्य उसकी विधिक बुद्धिमत्ता एवं विवेक के अनुरूप किया गया। यद्यपि यह संशोधन, अधिनियम क्रमांक 14, सन् 1990 में समाहित संशोधन से शब्दशः मेल खाता प्रतीत हो सकता है, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था, तथापि उपर्युक्त सभी विद्यमान कारकों की पृष्ठभूमि में, छत्तीसगढ़ राज्य की विधानमंडल इसे अधिनियमित करने के लिए विधिसम्मत रूप से पूर्णतः सक्षम थी।

न तो कोई विधायी निकाय अन्य विधायी निकाय का उत्तराधिकारी कहा जा सकता है और न ही वह उसके अधीनस्थ हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा नियत तिथि अर्थात् 01-11-2000 को अस्तित्व में आई और भारत के संविधान के अनुसार 01-11-2000 से छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा पूर्णतः स्वतंत्र और सार्वभौम विधायी निकाय बन गई, जो मध्यप्रदेश राज्य की पूर्ववर्ती विधान सभा के कार्यों से बाध्य नहीं थी।



याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *राजेन्द्र प्रसाद यादव विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय* ⁴द्वारा *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त)* में पारित निर्णयों का आश्रय लेते हुए तीव्रता से यह तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित संशोधन निर्वाचित निकाय के अधिकारों को छीनता है और शासन के अधीन कार्यरत रजिस्ट्रार को निर्वाचित मंच का प्रभारी बनाता है, जिससे निर्वाचित सदस्यों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए मनमाना है।

विपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिभाषक ने प्रत्युत्तर में यह तर्क दिया कि राज्य सरकार किसी निर्वाचित निकाय के अधिकारों को छीनना नहीं चाहती, बल्कि वे मंच उन्हीं को देना चाहती है जो विधिपूर्वक निर्वाचित हुए हों और उन्हें नहीं जो अपनी अवधि पूर्ण कर लेने के पश्चात भी विस्तार अथवा स्थगन के बहाने 3-4 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न तो शासन और न ही रजिस्ट्रार समिति की शक्तियों को स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि केवल निर्वाचित निकाय को ही मंच प्राप्त हो, अतः उन्होंने अपनी वह शक्ति भी समाप्त कर दी है जिसके माध्यम से सरकार समिति की अवधि का विस्तार करती थी।

राजेन्द्र प्रसाद यादव (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय के. रामास्वामी एवं डी.पी. वाधवा, न्यायमूर्ति द्वारा निर्णय पारित किया गया, किंतु दोनों न्यायाधीशों ने इस प्रश्न पर भिन्न मत व्यक्त किया कि क्या शीर्ष बैंक द्वारा समयावधि में चुनाव न कराए जाने की स्थिति में वैधानिक पदत्याग की बाध्यता लागू होती है। इस निर्णय में यही प्रश्न विचाराधीन था, जबकि वर्तमान वाद में यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

जहाँ तक *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त)* का संबंध है, वहाँ प्रावधानों को मुख्यतः दो आधारों पर असंवैधानिक घोषित किया गया। पहला यह कि संशोधन अधिनियम क्रमांक 14, वर्ष 1990 द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान की तुलना उस पूर्ववर्ती प्रावधान से की गई जिसमें कहा गया था कि यदि संस्था की निवर्तमान समिति ने चुनाव कराने हेतु कम से कम तीन माह पूर्व रजिस्ट्रार को प्रस्ताव पारित कर अनुरोध किया हो और रजिस्ट्रार ने चुनाव न कराए हों, तो रजिस्ट्रार समिति का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा और समिति के सदस्य पद पर बने रहेंगे। उक्त प्रावधान अधिनियम क्रमांक 12, वर्ष 1994 द्वारा निरस्त किया जा चुका है और अब यदि रजिस्ट्रार चुनाव न करा सके तथा समिति भी निर्धारित समय में चुनाव संपन्न न करा सके, तो रजिस्ट्रार को कार्यभार ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है।

अतः वर्तमान वाद में आक्षेपित संशोधन की तुलना 1994 से लागू प्रावधानों से की जानी चाहिए न कि 1990 के संशोधन से। अर्थात् 1990 में जब संशोधन किया गया और समिति का पद पर बने रहने का अधिकार समाप्त हुआ, उस समय तुलना के लिए उपलब्ध विधि यह थी कि यदि रजिस्ट्रार चुनाव न कराए तो समिति अगले चुनाव तक पद पर बनी रहे। किंतु वर्तमान संशोधन में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार यदि चुनाव न कराए तो समिति स्वयं 180 दिनों में चुनाव कराए और यदि नई समिति अस्तित्व में न आ सके, तो रजिस्ट्रार कार्यभार ग्रहण करेगा। अतः चाहे संशोधन लागू हो या न हो, रजिस्ट्रार को उन संस्थाओं का कार्यभार ग्रहण करना ही होगा जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

⁴ AIR 1997 SC 3723



दूसरा आधार यह था कि रजिस्ट्रार एक सरकारी अधिकारी है, और यदि सरकार किसी राजनीतिक दल द्वारा संचालित है तो उस दल द्वारा रजिस्ट्रार के माध्यम से समिति पर नियंत्रण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु इस पक्ष के विपरीत यह विचार नहीं किया गया कि यदि रजिस्ट्रार को कार्यभार ग्रहण करने से रोका जाए, तो निवर्तमान समिति जिसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है और जिसका विधिक अस्तित्व नहीं रह गया है, वह कार्य करती रहेगी, जिससे उन्हीं राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो उस समिति के नियंत्रण में रहे हैं। अतः दोनों पक्षों में दुरुपयोग की आशंका है, किन्तु जब छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं अपनी शक्ति सीमित कर दी है और केवल निर्वाचित निकाय को मंच देने की व्यवस्था की है, तो केवल रजिस्ट्रार के दुरुपयोग की आशंका पर विधिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

समिति की अवधि पाँच वर्ष है, जो स्वयं मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार करती है। यदि यह अवधि पूर्ण हो जाने के बाद पूर्व निर्वाचित सदस्य पुनः निर्वाचित हुए बिना पद पर बने रहें, तो यह मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन होगा। राज्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति नागरिक के इस अधिकार को किसी भी माध्यम से छीन नहीं सकता। यदि रजिस्ट्रार अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो सरकार अथवा न्यायिक मंच द्वारा उसे निर्वाचन कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

संशोधन अधिनियम क्रमांक 3, वर्ष 1982 द्वारा अधिनियम की धारा 49(7-AA) में यह प्रावधान जोड़ा गया कि राज्य सरकार समिति या किसी वर्ग की समितियों की अवधि बढ़ा सकती है। पुनः संशोधन अधिनियम क्रमांक 25, वर्ष 1988 द्वारा धारा 49 में (7-AAA) जोड़ा गया। इन प्रावधानों के कारण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग समय पर नहीं कर सके और सरकार की कृपा पर निर्भर हो गए। यह सरकार द्वारा मतदाताओं के विश्वास को तोड़ने जैसा कृत्य था।

लोकतंत्र में, संसद या विधान सभा की भाँति, जैसे ही कार्यकाल समाप्त होता है, निर्वाचित निकाय को भी समाप्त माना जाता है और नया निर्वाचन आवश्यक होता है। सरकार का यह कर्तव्य है कि कोई भी समिति अपनी अवधि समाप्त होने के पश्चात् कार्यरत न रहे और शीघ्र नव निर्वाचित समिति को अस्तित्व में लाए।

राज्य शासन ने आक्षेपित संशोधन द्वारा धारा 49 की उपधाराएँ (7-AA) एवं (7-AAA) को हटा दिया है। इससे सरकार ने अपनी शक्ति सीमित कर लोकतांत्रिक मूल्य की पुनः स्थापना की है जो अनुकरणीय है। अतः आक्षेपित संशोधन न केवल संवैधानिक है अपितु लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप भी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भंडारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य⁵ में यह घोषित किया गया है कि न्यायालय को विधायिका की नीतियों अथवा राजनैतिक बुद्धिमत्ता की विवेचना करने अथवा विधायिका की मंशा पर निर्णय देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता यदि वह विधेय नियम विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

⁵ AIR 1993 SC 59



यह स्पष्ट रूप से प्रतिलिखित होता है कि आक्षेपित संशोधन के निम्नलिखित प्रभाव होंगे:

- पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात्, यदि पूर्व सदस्य पुनः निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो वे पुनः पद पर नहीं बने रह सकते।
- समिति/संघ द्वारा, विधि, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार, पाँच वर्षों की अवधि के भीतर निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिए।
- भारतीय नागरिकों को प्राप्त मताधिकार का अधिकार अक्षुण्ण रहेगा, एवं वे विधि में निहित समयसीमा के भीतर मतदान करेंगे; अर्थात् उनका मतदान का अधिकार सरकार अथवा निवर्तमान समिति द्वारा छीन नहीं लिया जाएगा।
- राज्य शासन, यदि किसी राजनैतिक उद्देश्य हेतु समिति की अवधि को मनमाने ढंग से बढ़ाता है, तो अब आक्षेपित संशोधन के कारण ऐसा करना संभव नहीं होगा, जिससे वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके।
- पंजीयक का यह कर्तव्य रहेगा कि वह शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचन संपन्न कराए; और यदि वह इसमें विफल होता है, तो उसके विरुद्ध शासन अथवा न्यायिक मंच द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

संक्षेप में, आक्षेपित संशोधन का उद्देश्य समिति के कार्यों का एकाधिकार समाप्त करना, निर्वाचित सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व से वंचित न करना, मतदाताओं के मताधिकार को सुरक्षित रखना तथा पूर्व निर्वाचित सदस्यों को बिना पुनः निर्वाचन के अगले कार्यकाल हेतु अयोग्य ठहराना है। यह संशोधन समाज के लोकतांत्रिक संचालन को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है, और यही इसका वास्तविक उद्देश्य है।

परिणामतः, आक्षेपित संशोधन न तो मनमाना है और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है; अतः इसे निरस्त या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। तदनुसार, समस्त याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं।

फिर भी यह आदेशित किया जाता है कि पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, आज से छह माह की अवधि के भीतर, उन समस्त संस्थाओं का निर्वाचन विधि, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार कराएं, जिनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है, और सभी नवीन निर्वाचित समितियों को अस्तित्व में लाएं।

कोई लागत नहीं।

हस्ताक्षरित/-

12.06

(विजय कुमार श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

19/12/2006

राजू/गौर



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 2881/2005

याचिकाकर्ता: मोहम्मद अकबर

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 4377/2004

याचिकाकर्ता:

उमा

शंकर

शुक्ल

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 318/2005

याचिकाकर्ता:

सुखराम

कर्मा

@

सुक्कराम

कर्मा

विरुद्ध

उत्तरवादी: पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 1662/2005

याचिकाकर्ता:

सहकारी

विपणन

संस्था

मर्यादित,

कवर्धा

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 3580/2004

याचिकाकर्ता:

डमरू

धर

यादव

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 4340/2005

याचिकाकर्ता:

मोहनलाल

पटेल

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 4953/2005

याचिकाकर्ता:

परमानंद

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 5479/2005

याचिकाकर्ता:

रोहित

कुमार

साहू

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 6135/2005

याचिकाकर्ता:

गंगाराम

सिन्हा

एवं

अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट	याचिका	क्र.	626/2006
-----	--------	------	----------

याचिकाकर्ता:

बाबूराम

चांडेल

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्र. 3269/2004

याचिकाकर्ता:

मोहनलाल

पटेल

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

विचारार्थ आदेश



न्यायाधीश

12.2006

आदेश हेतु पोस्ट: 12.2006

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. के. श्रीवास्तव

उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़
(पूर्ण पीठ) :

माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय श्री वी. के. श्रीवास्तव,
माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति गण

रिट याचिका क्र. 2881 / 2005

याचिकाकर्ता: मो. अकबर, आयु लगभग 49 वर्ष, पिता श्री मो. राशिद,
अध्यक्ष/चेयरमैन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर,
निवासी – के.के. रोड, महोबाजार, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्र. 4377 / 2004



याचिकाकर्ता:

उमा शंकर शुक्ला, अध्यक्ष, जगदलपुर सहकारी विपणन संस्था मर्यादित एवं किसान राइस मिल, जगदलपुर। एक सहकारी संस्था जो छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत है, पंजीयन क्रमांक – DR/BTR/5, दिनांक 15/12/1959।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लाबांडी, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

रिट याचिका क्र. 318 / 2005

याचिकाकर्ता:

सुखुराम कर्मा @ सुक्कुराम कर्मा, पिता स्वर्गीय धुव्वा, आयु लगभग 71 वर्ष, (पूर्व अध्यक्ष), आदिवासी सहकारी विपणन संस्था "मर्यादित", दंतेवाड़ा, ग्राम पूसपाल, तहसील दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा (छ.ग.)

रिट याचिका क्र. 1662 / 2005

याचिकाकर्ता:

सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, कवर्धा, अजित चंद्रवंशी, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री जगदीश चंद्रवंशी, अध्यक्ष, सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, कवर्धा, जिला कबीरधाम के माध्यम से

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, प्रमुख सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. कलेक्टर, कवर्धा, जिला कबीरधाम
4. प्रबंधक (व्यवस्थापक), सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, मंडी परिसर, कवर्धा, जिला कबीरधाम
5. डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था, कवर्धा, जिला कबीरधाम।

रिट याचिका संख्या 3580 सन 2004

याचिकाकर्ता:

डमरू धर यादव, आयु लगभग 48 वर्ष, पिता स्व. श्री बुधु राम यादव, अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. कलेक्टर, रायगढ़ जिला, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) एवं नियुक्त प्राधिकृत प्राधिकारी, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़।
4. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।
5. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बंकर संघ के सामने, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

रिट याचिका संख्या 4340 सन 2005

याचिकाकर्ता:

मोहन लाल पटेल, आयु लगभग 56 वर्ष, पिता स्व. श्री उदय राम पटेल, अध्यक्ष, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर, (छत्तीसगढ़)
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
4. उप पंजीयक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।



5. जिला विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बालोद, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

रिट याचिका संख्या 4953 सन 2005

याचिकाकर्ता:

परमानंद, पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, आयु लगभग 54 वर्ष, अपदस्थ विपणन सहकारी समिति मर्यादित, सरायगढ़, थाना एवं तहसील सरायगढ़, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के पूर्व अध्यक्ष।

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर।
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)।
4. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़ (छ.ग.)।

रिट याचिका संख्या 5479 सन 2005

याचिकाकर्ता:

रोहित कुमार साहू, पिता श्री चित्राम साहू, आयु लगभग 34 वर्ष, अध्यक्ष, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग।

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
4. उप पंजीयक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
5. जिला विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

रिट याचिका संख्या 6135 सन 2005

याचिकाकर्तागण:

1. गंगा राम सिन्हा, पिता मुलचंद, व्यवसाय – अध्यक्ष, ग्रामिण सेवा सहकारी समिति सरकारा, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी सरकारा, थाना विंध्यदेही, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)।



2. वीर सिंह, पिता प्रताप सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय – अध्यक्ष, ग्रामिण सेवा सहकारी समिति सोनासिली, निवासी ग्राम सोनासिली, जिला महासमुंद।
3. बत्तीस राम ठाकुर, पिता नारायण, आयु लगभग 65 वर्ष, व्यवसाय – अध्यक्ष, ग्रामिण सेवा सहकारी समिति बधपाली, जिला महासमुंद।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, जिला रायपुर (छ.ग.)।
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर (छ.ग.)।
4. उप पंजीयक, विपणन सहकारी समिति मर्यादित, महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
5. महासमुंद सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण समिति महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

रिट याचिका क्रमांक 626 सन 2006

याचिकाकर्ता:

बाबूराम चंडेल, पिता स्वर्गीय श्री पीलाराम चंडेल, आयु 53 वर्ष, निवासी जटाधारा, डाकघर बरहापुर, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, सहकारिता विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)।
3. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
4. सहकारी विपणन सहकारी समिति मर्यादित, धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

रिट याचिका सं. 3269 / 2004

याचिकाकर्ता

मोहनलाल पटेल, आयु लगभग 56 वर्ष, पिता श्री उदयराम पटेल (स्वर्गीय), अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग; एक सहकारी संस्था, जो छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत है।



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सहकारिता विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से।
2. पंजीयक, सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. कलेक्टर, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़), तथा जिला सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग हेतु नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी।
4. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

: उप पंजीयक, सहकारी समिति, बुनकर संघ के सामने, दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ, श्री प्रतीक शर्मा अधिवक्ता, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से निम्नलिखित रिट याचिकाओं में पैरवी की:

रिट संख्याएँ: 3580 / 2004, 1662 / 2005, 2881 / 2005, 4340 / 2005, एवं 3269 / 2004।

श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ, श्री अमृतो दास अधिवक्ता, जिन्होंने रिट याचिका संख्या 4377 / 2004 में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुति दी।

श्री राहुल झा, जिन्होंने रिट याचिका संख्या 318 / 2005 में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुति दी।

श्री एस. एन. नांदे, जिन्होंने रिट याचिका संख्या 4953 / 2005 में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुति दी।

श्री संजय के. अग्रवाल, याचिकाकर्ता की ओर से अभिभाषक, रिट याचिका क्रमांक 5479/2005 में।

श्रीमती रेनू कोचर, याचिकाकर्ता की ओर से अभिभाषक, रिट याचिका क्रमांक 6135/2005 में।

श्री आर. एस. श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता की ओर से अभिभाषक, रिट याचिका क्रमांक 626/2006 में।

श्री रविश चन्द्र अग्रवाल, माननीय महाधिवक्ता एवं श्री प्रशान्त मिश्रा, माननीय अपर महाधिवक्ता, श्री उत्कर्ष वर्मा, राज्य छत्तीसगढ़ की ओर से अभिभाषक।



श्री राजीव श्रीवास्तव, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़ की ओर से अभिभाषक।

आदेश

(दिनांक 19.12.2006 को पारित)

निम्नलिखित आदेश माननीय न्यायमूर्ति **दिलीप रावसाहेब देशमुख** द्वारा पारित किया गया:

ये सभी रिट याचिकाएं एक समान विधिक प्रश्न विद्यमान हैं, अतः इन सभी याचिकाओं का निराकरण एकसाथ इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

- इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ता प्राथमिक तथा केंद्रीय सहकारी संस्थाओं की प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित अधिकारी एवं सदस्य हैं, जो छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत पंजीकृत हैं। याचिकाकर्ता समितियों की प्रबंधकारिणी समितियों ने, अधिनियम की धारा 49(8)(i) के अनुसार (जैसा कि यथाशीघ्र प्रभावी संशोधन से पूर्व था), नए चुनावों के आयोजन हेतु प्रस्ताव पारित किया एवं रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं से अनुरोध किया कि चुनाव कराए जाएं।

यदि रजिस्ट्रार द्वारा 90 दिनों के भीतर चुनाव न कराए जाएं, जैसा कि अधिनियम की धारा 8(1) के उपबंध में प्रावधानित है, और 180 दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व, जिसके भीतर संस्थाओं की प्रबंधकारिणी समितियों को चुनाव आयोजित करने की बाध्यता थी, उत्तरदायी राज्य ने अधिनियम (संशोधन) अधिनियम क्रमांक 5, 2004 नामक एक अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश "छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं (संशोधन) अध्यादेश, 2004" नाम से दिनांक 1 अक्टूबर, 2004 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया, जिससे धारा 49 में संशोधन किया गया, जो यह प्रदान करता है कि यदि धारा 7(A) या धारा 7(AA) के अंतर्गत कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव न हो, तो समिति के सभी सदस्य और अध्यक्ष अपने पदों से मुक्त माने जाएंगे, और समिति की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार को सौंप दी जाएंगी। रजिस्ट्रार यथाशीघ्र चुनाव कराएगा।

यह अध्यादेश तत्पश्चात "छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं (संशोधन) अधिनियम, 2004" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता एवं संशोधित अधिनियम वर्तमान रिट याचिकाओं में चुनौती के अधीन है। ये सभी याचिकाएं एकसाथ सुनी गईं एवं इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णयित की जा रही हैं।

- छत्तीसगढ़ राज्य को मध्यप्रदेश राज्य से पृथक किया गया **म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000** के अंतर्गत दिनांक 01.11.2000 से।



4. उपयुक्त है कि अधिनियम की धारा 49 के यथास्थिति प्रावधानों को संशोधित अधिनियम से पूर्व एवं पश्चात स्पष्ट किया जाए।

संशोधित अधिनियम से पूर्व अधिनियम की धारा 49:

[(7-A)(i)] समिति का कार्यकाल उस तिथि से पाँच वर्ष का होगा, जिस दिन समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई हो:

यह भी उपबंधित है कि, यदि कोई समिति अधिनियम के अंतर्गत निलंबित, अपदस्थ अथवा प्रतिस्थापित की गई हो, और किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण के आदेश द्वारा पुनः स्थापित की गई हो, तो जिस अवधि में समिति अपदस्थ रही हो, उस अवधि को कार्यकाल की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस समिति के कार्यकाल के समरूप होगा, जिसके लिए उसे निर्वाचित किया गया है:

यह भी उपबंधित है कि, समिति का प्रतिनिधि तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक वह समिति, जिसकी वह सदस्य है, अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अस्तित्व में हो।

[(7-AA)] राज्य सरकार, यथोचित अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कारणों के आधार पर, किसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के कार्यकाल को समय-समय पर कुल अधिकतम **36 माह** तक बढ़ा सकती है।

[7-AAA] यद्यपि उप-धारा (7-AA) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अठारह माह की अवधि समाप्त हो चुकी थी, तथापि 7 मई, 1988 (जिसे आगे "निर्दिष्ट तिथि" कहा गया है) से प्रारंभ होकर छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ (संशोधन) अध्यादेश, 1988 की राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक की अवधि में गठित समितियों के संदर्भ में, उक्त समितियों की अवधि को उस तिथि से प्रभावशील छह माह की अवधि के लिए विस्तारित माना जाएगा, मानो इस अवधि के विस्तार हेतु अधिसूचना उप-धारा (7-AA) के अंतर्गत उसी तिथि को जारी की गई हो।

[xxx]

[8(i)] यह निवर्तमान समिति की बाध्यता होगी कि वह समिति की धारा 7(A) अथवा विस्तारित अवधि धारा 7(AA) के अंतर्गत समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराए। निवर्तमान समिति को रजिस्ट्रार के समक्ष युक्तियुक्त समय में चुनाव कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा, परंतु यह अवधि किसी भी दशा में समिति की अवधि समाप्त होने की तिथि से पूर्व 90 दिन से कम नहीं होगी।

यह भी उपबंधित है कि यदि निवर्तमान समिति ने प्रस्ताव पारित कर रजिस्ट्रार से कम-से-कम 90 दिन पूर्व चुनाव कराने का अनुरोध किया है और रजिस्ट्रार उक्त अनुरोध के अनुसार चुनाव कराने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार समिति का प्रभार ग्रहण नहीं करेगा और समिति के सदस्य अपने-अपने पद पर बने रहेंगे;

यह भी उपबंधित है कि यदि रजिस्ट्रार समिति की अवधि समाप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने में विफल रहता है, तो समिति को लौटते हुए समाज की समिति एक **प्रत्यवर्तन अधिकारी (Returning Officer)**



की नियुक्ति करेगी, जो समिति का चुनाव उस तिथि से 180 दिवसों के भीतर कराएगा जिस दिन समिति की कार्यावधि समाप्त होती है।

(ii) यदि समिति चुनाव कराने में विफल रहती है और कार्यकाल की समाप्ति पर धारा 7(A) या विस्तारित कार्यकाल धारा 7(AA) के अधीन रजिस्ट्रार या उसके प्राधिकृत अधिकारी को प्रभार नहीं सौंपती है, तो समिति के सभी सदस्यों को पदत्यागी माना जाएगा और रजिस्ट्रार प्रभार ग्रहण कर शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराएगा।

संशोधन अधिनियम की धारा 49 में संशोधन हेतु उद्देश्य और कारणों का विवरण — छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ (संशोधन) अधिनियम, 2004

उद्देश्य और कारण का विवरण:

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिन समितियों की कार्यावधि पूर्व में 12 माह से बढ़ाकर 36 माह की गई है, वह सहकारी समाज अधिनियम, 1960 (1961 की अधिनियम संख्या 17) में संशोधन द्वारा किया गया, जिसने "समाजों की लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रभावित किया" (प्रबल रूप से उद्धृत)। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम में संशोधन आवश्यक है।

(1) अतः यह विधेयक लाया गया।

छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (सं. 22 का 2004):

[राज्यपाल की स्वीकृति दिनांक 10 जनवरी, 2005 को प्राप्त हुई; यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14 जनवरी, 2005 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।]

छत्तीसगढ़ सहकारी समाज अधिनियम, 1960 में संशोधन करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य की पचपनवीं वर्षगांठ में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा यह अधिनियम निम्नलिखित रूप में प्रवर्तित किया गया है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ —

- (1) इस अधिनियम को "छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2004" कहा जा सकेगा।
- (2) यह अधिनियम उसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा 49 का संशोधन —

छत्तीसगढ़ सहकारी समाज अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 का 1961) (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 49 में —

- (1) उपधारा (7AA) एवं (7AAA) को निरसित किया गया है।
- (2) उपधारा (8)(i) एवं (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है —



“(8) यदि उपधारा (7A) में निर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति अथवा उपधारा (7AA) के तहत बढ़ाए गए कार्यकाल से पूर्व निर्वाचन संपन्न नहीं हुआ हो, तो समिति के समस्त सदस्यों को अपना पद रिक्त मान लिया जाएगा तथा समिति के अधिकार रजिस्ट्रार में निहित माने जाएंगे और रजिस्ट्रार यथाशीघ्र निर्वाचन संपन्न कराएगा।

यह भी उपबंधित है कि रजिस्ट्रार, इस उपधारा के अंतर्गत उसमें निहित शक्तियों को प्रयोग करने हेतु किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है और ऐसा अधिकृत अधिकारी उस प्राधिकरण की तिथि से उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।”

5. इन याचिकाओं की पहले एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई थी। दिनांक 14.02.2006 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

“बहस के दौरान, श्री कनक तिवारी एवं श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह प्रस्तुत किया कि इन याचिकाओं के निर्णय हेतु जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय *Anurudh Prasad Shastri and another Vs. State of Madhya Pradesh and others* 1993 (2) MPJR 33 में पूर्णतः आच्छादित है, जो इस उच्च न्यायालय की समवर्ती पीठ को बाध्य करता है, क्योंकि यह उत्तराधिकारी उच्च न्यायालय है। उक्त प्रश्न को उपयुक्त मामले में निर्णय हेतु छोड़ते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि इन याचिकाओं के इस समूह को एक वृहद पीठ के समक्ष रखा जाए ताकि संविधानिक प्रश्न का अंतिम निर्णय हो सके।

अतः, हम पंजीयन कार्यालय को निर्देश देते हैं कि वह इन याचिकाओं को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि वे उपयुक्त वृहद पीठ का गठन कर सकें जो इन याचिकाओं की अंतिम रूप से सुनवाई एवं निपटान कर सके। याचिकाकर्ताओं/प्रत्युत्तरकर्ताओं को तृतीय न्यायाधीश के लिए दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाता है।”

इस प्रकार, मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन याचिकाओं की सुनवाई हेतु एक पूर्ण पीठ गठित की गई।

6. उपर्युक्त संशोधन के विरुद्ध धारा 49 में की गई चुनौती इन याचिकाओं में निम्नलिखित आधारों पर की गई है:

a) कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 01.11.2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल को ऐसी विधि को पुनः अधिनियमित करने की कोई विधिसम्मत क्षमता नहीं थी, जिसे पूर्व में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1993 (2) M.P.J.R. 33⁶ में “विधि से परे (अधिनियमातीत / Ultra Vires)” घोषित कर निरस्त कर दिया गया था, बिना उसके दोषों को दूर किए हुए।

b) कि उक्त संशोधन समिति को सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में विद्यमान अधिकारों से वंचित करता है, जो मनमाना एवं असंवैधानिक है;

⁶ 1993 (2) M.P.J.R. 33



c) कि उक्त संशोधन रजिस्ट्रार को असीमित अवधि तक सहकारी समितियों के प्रबंधन पर नियंत्रण का निरंकुश अधिकार देता है, जो सहकारी संस्थाओं की लोकतांत्रिक संरचना एवं छत्तीसगढ़ सहकारी समाज अधिनियम, 1960 की प्रस्तावना को बाधित करता है;

d) कि उक्त संशोधन अधिनियम के उद्देश्य को, जो कि सहकारी संस्थाओं को लोकतांत्रिक संस्थानों के रूप में विकसित करना है, निरर्थक कर देता है।

7. याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत अधिवक्तागण ने **अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1993 (2) M.P.J.R. 33** पर विशेष बल दिया, यह तर्क देते हुए कि राज्य पुनर्गठन से पूर्व मूल राज्य की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय इस न्यायालय को भी बाध्य करता है। यह निर्णय इस उच्च न्यायालय की समकक्ष खंडपीठ तथा राज्य की विधानमंडल को भी बाध्य करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानमंडल इस तथ्य से अवगत थी कि **अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त 1)** प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार, अधिनियम की धारा 49(8) में किया गया संशोधन असंवैधानिक और सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक संरचना को अपमानित करने वाला तथा सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्कृति को विघटित करने वाला घोषित किया गया था, जिससे चुनावों का आयोजन सुनिश्चित होता है। इसलिए, उक्त निर्णय के प्रभाव को निष्प्रभावी करने हेतु, **अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त 1)** में दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से, धारा 49(8) का पुनः उसी रूप में संशोधन किया गया, जिसे वैधता प्रदान करने वाला विधान नहीं कहा जा सकता और जिसे **अधिकारतीत (अर्थात् ultra vires)** के रूप में निरस्त किया जाना उचित था।

8. इसके प्रतिवाद में, राज्य के माननीय महाधिवक्ता ने आक्षेपित संशोधन का समर्थन किया और हमें छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत विभिन्न उपबंधों, उपविधियों एवं योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, तथा यह विवाद नहीं किया गया कि धारा 49 (8-i) की दूसरी परंतुक के अधीन निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति अंततः रजिस्ट्रार द्वारा ही की जानी थी। माननीय महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि **अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त 1)** में पारित निर्णय **न्यायिक त्रुटि से ग्रस्त (per incuriam)** था, क्योंकि वहाँ सहकारी समिति के प्रबंधन एवं उसके चुनावों से संबंधित नियम, विनियम एवं उपविधियाँ न तो उल्लेखित थीं और न ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाई गई थीं। इन आधारों पर, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया संशोधन, पूर्व में निरस्त की गई अधिनियम की धारा 49 का शब्दशः पुनरुपांतरण था, तथापि राज्य विधानमंडल को उक्त संशोधन अधिनियमित करने की विधायी क्षमता प्राप्त थी, भले ही वह संशोधन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री (पूर्वोक्त 1)** में निरस्त किया गया था।

9. यह भी प्रतिपादित किया गया कि याचिकाकर्ता-संस्थाओं की प्रबंध समिति के चुनाव, विभिन्न प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के चुनाव पर निर्भर करते हैं, जो याचिकाकर्ता-संस्था के सदस्य होते हैं। अन्य संस्थाओं के ऐसे अन्य प्रतिनिधि भी होते हैं जो याचिकाकर्ता-संस्थाओं की समिति के



सदस्य होते हैं, अतः जब तक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनाव रजिस्ट्रार द्वारा संपन्न नहीं कराए जाते, तब तक रजिस्ट्रार याचिकाकर्ता-संस्थाओं की समिति के चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में नहीं होता। समितियों के चुनाव की विधि, प्रणाली एवं प्रक्रिया, चाहे वह एपेक्ष संस्था से जिला स्तरीय संस्थाएँ हों अथवा प्राथमिक स्तरीय संस्थाएँ, इतनी जटिल, पारस्परिक निर्भरता वाली और जटिल थी कि वैधानिक समयावधि के भीतर चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ और पूर्ण करना कठिन हो गया, और इस कारण आक्षेपित संशोधनात्मक प्रावधानों को इस उद्देश्य से लाया गया कि सभी संस्थाओं — चाहे वे प्राथमिक हों, केन्द्रीय हों या शीर्ष स्तरीय हों — के चुनाव समयावधि के भीतर पूर्ण हो सकें और उनका कार्यकाल वैधानिक समयावधि से अधिक न बढ़े। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जबकि धारा 49 के अंतर्गत दी गई जटिल प्रक्रिया को छोटा किया गया है, तब सरकार ने अधिनियम की धारा 7(A) एवं धारा 7(A-A) के अधीन प्राप्त अपने अधिकार को भी छीन लिया है। तर्कों के दौरान यह विवाद नहीं किया गया कि धारा 49 में संशोधन हेतु जो अधिनियम बनाया गया था, वह उस दिन घोषित किया गया था जिस दिन दूसरी परंतुक, धारा 49 (8-i) के अनुसार, प्रबंधन समितियों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ था।

छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी संरचना की प्रकृति

10. छत्तीसगढ़ सहकारी समाज अधिनियम, 1960 (अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 2(a-i) में "शीर्ष सोसायटी" से तात्पर्य ऐसी सोसायटी से है जिसका मुख्य उद्देश्य उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के संचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना है तथा जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य तक विस्तृत है। धारा 2(c-i) में "केन्द्रीय समिति" से अभिप्राय जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या कोई अन्य समिति है, जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका उद्देश्य सदस्य समितियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देना है, तथा जिसके सदस्य के रूप में कम से कम पांच समितियां हैं। धारा 2(c-ii) "केन्द्रीय सहकारी बैंक" से इस अधिनियम के तहत पंजीकृत या पंजीकृत समझी जाने वाली संसाधन समिति अभिप्रेत है, जिसे या तो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के तहत लाइसेंस प्राप्त है या जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त होने तक बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति है, और
- (i) इसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है।
- (ii) इसका मुख्य उद्देश्य, निधियों का सृजन करना तथा कृषि, औद्योगिक और अन्य संबद्ध प्रयोजनों के लिए ऋण, माल या सेवाएं प्राप्त करना और उससे संबद्ध सहकारी समितियों को ऋण के रूप में ऋण, माल या सेवाएं प्रदान करना है। धारा 2(d) में "बोर्ड" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति के निदेशक मंडल या शासी निकाय से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे समिति के मामलों के प्रबंधन का निर्देशन और नियंत्रण सौंपा गया है। जो धारा 48 के अंतर्गत गठित हो। धारा 2(j) में "कृषि समिति" से तात्पर्य भूमि के विकास और खेती के बेहतर तरीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित समिति से है, और इसमें बेहतर कृषि समिति, किरायेदार कृषि समिति, सामूहिक कृषि समिति, संयुक्त कृषि समिति, सिंचाई समिति और फसल संरक्षण समिति शामिल हैं। धारा 2(r) में "सदस्य" से तात्पर्य



किसी सोसायटी के पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल होने वाले व्यक्ति या इस अधिनियम, ऐसी सोसायटी पर लागू नियमों और उप-विधियों के अनुसार पंजीकरण के बाद सदस्यता में भर्ती होने वाले व्यक्ति से है और इसमें राज्य सरकार भी शामिल है, जब वह किसी सोसायटी की शेयर पूंजी में अंशदान करती है। धारा 2(t-1) "अधिकारी" से तात्पर्य किसी सोसाइटी द्वारा उसके उप-नियमों के अनुसार ऐसी सोसाइटी के किसी पद के लिए निर्वाचित या नियुक्त किसी पदाधिकारी या व्यक्ति से है और इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष, बोर्ड के सदस्य और इस अधिनियम, नियमों या उप-नियमों के तहत ऐसी सोसाइटी के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने के लिए निर्वाचित या नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति शामिल है। धारा 2(u-1) "प्राथमिक सोसायटी" से तात्पर्य ऐसी सोसायटी से है जो न तो शीर्ष सोसायटी है और न ही केन्द्रीय सोसायटी है। धारा 2(x-1) "प्रतिनिधि" से तात्पर्य अन्य सोसाइटियों में सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सोसायटी के सदस्य से है। धारा 2(y-1) "रिटर्निंग अधिकारी" से अभिप्राय है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त अधिकारी और इसमें रिटर्निंग अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी भी शामिल है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके द्वारा लिखित रूप में नामित किया गया हो। धारा 2(z) "सहकारी समिति" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकृत समझी जाने वाली सहकारी समिति से है; धारा 2(z-1)(aa) "राज्य सहकारी बैंक" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से है।

11. इस अधिनियम की धारा 4 सोसायटी के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है और यह उपबंधित करती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई सोसायटी जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों के आर्थिक हितों का संवर्धन अथवा उनके सामान्य कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार सुनिश्चित करना हो, या कोई ऐसी सोसायटी जो ऐसी सोसायटी के कार्यों को सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, वह इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत की जा सकती है। पंजीकरण का प्रावधान धारा 9 के अधीन किया गया है और सोसायटियों को धारा 10 की उपधारा (1) में 12 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका विवरण यहां अप्रासंगिक है। धारा 10 की उपधारा (1-a) रजिस्ट्रार को यह अधिकार देती है कि वह उपधारा (1-a) की धाराओं (i) से (xii) तक वर्णित सोसायटियों को तीन प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत कर सके, अर्थात्: (a) एपेक्स सोसायटी; (b) सेंट्रल सोसायटी; और (c) प्राथमिक सोसायटी। अध्याय II में सदस्यता का अधिकार धारा 19 के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसकी उपधारा (1) उपबंधित करती है कि कोई भी व्यक्ति सोसायटी का सदस्य नहीं बनाया जाएगा सिवाय उन वर्गों के, जो इस प्रकार हैं: (a) एक व्यक्ति; (b) कोई अन्य सोसायटी; (c) से (e) तक अप्रासंगिक हैं तथा (f) राज्य सरकार। उपधारा (2) के अंतर्गत, इस अधिनियम, नियमों या सोसायटी की उपविधियों में उल्लेखित किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, यदि राज्य सरकार ने किसी सोसायटी की अंश पूंजी में योगदान दिया है, तो राज्य सरकार की उत्तरदायित्वता केवल उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होगी।



12. धारा 22 मतदान का अधिकार प्रदान करती है। इसकी उपधारा (1) कहती है कि सोसायटी का प्रत्येक सदस्य, सोसायटी के कार्यों में एक मत का अधिकार रखेगा। उपधारा (2) से (8) तक का विवरण इस वाद की दृष्टि से अप्रासंगिक है, अतः त्याज्य है। धारा 23 में मतदान के प्रयोग की विधि का उपबंध है। इसकी उपधारा (1) यह कहती है कि प्रत्येक सदस्य अपना मत स्वयं डालेगा और किसी भी सदस्य को प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बशर्ते कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन – (i)(a) कोई सोसायटी, जो किसी अन्य सोसायटी की सदस्य है, अपने किसी सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में उसके स्थान पर मतदान हेतु नियुक्त कर सकती है; तथा (b) इस वाद हेतु आवश्यक नहीं है। धारा 23(i) यह उपबंधित करती है कि राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में नामांकित कर सकती है ताकि वह उसके स्थान पर सोसायटी के कार्यों में मतदान अथवा अन्य भागीदारी कर सके, जिसमें वह सोसायटी अथवा राज्य सरकार सदस्य हो। अन्य विवरण इस वाद के प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं हैं, अतः त्याज्य हैं। धारा 47-A एपेक्स सोसायटी के कर्तव्यों का उपबंध करती है। इसकी उपधारा (1) कहती है कि एपेक्स सोसायटी, अपने घटकों की सेवा के लिए और अपनी उपविधियों के अनुसार, वहां निर्दिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती है। उपधारा 1(k) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य सोसायटियों में निर्वाचन समय पर संपन्न हो।

13. अध्याय V "समाजों के प्रबंधन" से संबंधित है और धारा 48 की उपधारा (1) यह कहती है कि किसी सोसायटी में अंतिम प्राधिकरण उसके सदस्यों की सामान्य सभा में निहित होगा। प्रोवाइसो अप्रासंगिक है, अतः त्याज्य है। धारा 48 की उपधारा (2) कहती है कि उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक सोसायटी का प्रबंधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसायटी की उपविधियों के अनुसार गठित समिति में निहित होगा और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो अधिनियम, नियमों या उपविधियों द्वारा आरोपित या प्रदत्त हों। उपधारा 3(c) यह उपबंधित करती है कि यदि सोसायटी आवश्यक संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में विफल रहती है या अपेक्षित से कम संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करती है, जैसा कि धाराओं (a) और (b) में निर्दिष्ट है, तो समिति के सदस्य उस सोसायटी के सदस्यों में से आवश्यक संख्या में योग्य सदस्यों का सह-चयन करेंगे और यदि समिति ऐसा करने में विफल रहती है, तो रजिस्ट्रार उस सोसायटी के सदस्यों में से योग्य सदस्यों की आवश्यक संख्या को नामांकित करेगा। धारा 48 की उपधारा (5) उपबंधित करती है कि एक अध्यक्ष/प्रेसिडेंट और दो उपाध्यक्ष/वाइस चेयरमैन संसाधन सोसायटी में होंगे। उपाध्यक्ष के प्रतिनिधित्व का विवरण इस वाद के प्रयोजन हेतु अप्रासंगिक है, अतः त्याज्य है।

14. उपधारा (1) यह उपबन्धित करती है कि प्रत्येक समिति को, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय, एक प्रतिनिधि का भी निर्वाचन करना होगा जो उस समिति का अन्य सहकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करेगा, और ऐसा निर्वाचित प्रतिनिधि, समिति द्वारा तब तक वापस नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि समिति का अगला निर्वाचन न हो जाए। यह उपधारा समिति को यह शक्ति प्रदान करती है। उपधारा (2) एवं (3) इस वाद के प्रयोजन हेतु प्रासंगिक नहीं हैं, अतः त्यक्त की जाती हैं। धारा 48-ग समिति की शक्तियों को निम्नलिखित रूप में निर्दिष्ट करती है:



किसी संस्था का मण्डल अथवा समिति, उपविधियों के अनुसार, निम्नलिखित कार्य करने हेतु अधिकृत होगी —

- (a) सदस्यता को स्वीकृत करना तथा समाप्त करना;
 - (b) अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना;
- अन्य उपबन्ध (c) से (h) तक इस वाद के प्रयोजन हेतु प्रासंगिक नहीं हैं, अतः त्यक्त किए जाते हैं।

15. धारा 49 की उपधारा 7-A (i) यह उपबन्धित करती है कि समिति का कार्यकाल, समिति की प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्षों का होगा। उपधारा 7-A (ii) यह उपबन्धित करती है कि समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस संस्था की समिति के कार्यकाल के समरूप होगा जिसके लिए वह प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ है। अन्य विवरण इस वाद के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक नहीं हैं, अतः त्यक्त किए जाते हैं।

16. अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों का सम्यक् परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि सहकारी संस्था के गठन एवं पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। संस्था की सदस्यता, साधारण निकाय, संस्था के कार्यों के संचालन हेतु समितियाँ, उनके कार्यकाल एवं अर्हताएँ निर्दिष्ट की गई हैं तथा संस्था का प्रबन्ध समिति को सौंपा गया है और समिति को यह अधिकार है कि वह पदाधिकारियों, जैसे अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष आदि आदि तथा अन्य सहकारी संस्थाओं में संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन करे। तथापि, यह विशेष उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी व्यवस्था त्रिस्तरीय है, अर्थात् ग्राम स्तर पर प्राथमिक संस्था, जिला स्तर पर केन्द्रीय संस्था तथा राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था। प्राथमिक संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय संस्थाओं हेतु निर्वाचन मण्डल से प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं, जो अन्य कुछ प्रतिनिधियों के साथ होते हैं, तथा केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा शीर्ष संस्थाओं हेतु निर्वाचन मण्डल से प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार, उपर्युक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जब तक प्राथमिक संस्था स्तर पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन पूर्ण नहीं होता, तब तक केन्द्रीय संस्थाओं का निर्वाचन मण्डल पूर्ण नहीं होता, और इसलिए केन्द्रीय संस्था स्तर का निर्वाचन प्राथमिक संस्था के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के पूर्ण होने के पश्चात ही सम्भव है। शीर्ष संस्था की स्थिति भी इसी प्रकार है, अर्थात् शीर्ष संस्था में निर्वाचन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि केन्द्रीय संस्था स्तर के प्रतिनिधियों का निर्वाचन पूर्ण न हो जाए, तथा ऐसा निर्वाचन मण्डल पूर्ण न हो जाए। (बलपूर्वक उल्लेखित)।

17. यह उपयुक्त होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राजेन्द्र प्रसाद यादव विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य** वाद में प्रदत्त निर्णय के अनुच्छेद 16, 17, 18 एवं 19 को यहाँ उद्धृत किया जाए:

"16. इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे लोकतांत्रिक शासन तंत्र में, सभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ, जिनमें अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित सहकारी समितियाँ सम्मिलित हैं, को लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों पर संगठित किया जाना अपेक्षित है। वास्तव में, संविधान (तिरसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा लाया गया संविधान का भाग IX, लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत पंचायती प्रणाली हेतु प्रावधान करता है, जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला मंडलों तक की सबसे निम्न स्तर की लोकतांत्रिक संरचना से लेकर शीर्ष तक नियमित निर्वाचन कराए जाने की अपेक्षा करता है। अतः, सहकारी समितियों के भी निर्वाचन नियमित रूप से तथा समिति की कार्यकारिणी की



अवधि समाप्त होने के पूर्व कराए जाना आवश्यक है, ताकि निर्वाचित निकाय पद पर बना रहे और समिति के प्रबंधन का संचालन करे तथा कृषकों को उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु ऋण वितरित कर सके तथा उनकी आर्थिक संसाधनों में आत्मनिर्भरता हेतु वृद्धि कर सके और कृषि उत्पादकता में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि प्रदान कर सके। इस प्रकार, समय-समय पर निर्वाचन का आयोजन अधिनियम, नियमों तथा प्रत्येक समिति के उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।"

17. प्रश्न, इस प्रकार, यह है: क्या रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 49(B)(ii) के अंतर्गत अपेक्स बैंक का कार्यभार ग्रहण करने हेतु औचित्यपूर्ण था? अधिनियम की धारा 2(d) में "समिति" को प्रबंध मंडल (Board of Management) के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो धारा 48 के अंतर्गत गठित हो। अधिनियम की धारा 2(x) के अंतर्गत "रजिस्ट्रार" वह व्यक्ति होगा जो सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार होगा, और धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त कर सके तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वर्गों के एक या अधिक अधिकारियों को उसकी सहायता हेतु नियुक्त कर सके, ताकि अधिनियम के अंतर्गत समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों का पालन किया जा सके। अध्याय V की धारा 48 समितियों के प्रबंधन से संबंधित है। यह प्रावधान करती है कि किसी भी समिति में अंतिम प्राधिकरण उसके सामान्य निकाय के सदस्यों में निहित होगा। प्रत्येक समिति का प्रबंधन उपधारा (2) के अनुसार उस समिति में निहित होगा जो अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा समिति के उपविधियों के अनुसार गठित हो। यह समिति ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित या प्रदत्त किए गए हों।

धारा 48-B की उपधारा (1) में यह उपबन्ध है कि "प्रत्येक समिति को, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय, एक प्रतिनिधि भी निर्वाचित करना होगा जो अन्य समितियों में उस समिति का प्रतिनिधित्व करेगा, और ऐसा निर्वाचित प्रतिनिधि समिति द्वारा तब तक वापस नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि समिति का अगला निर्वाचन न हो जाए।" (बल दिया गया)। धारा 48-C समिति के अधिकारों का उल्लेख करती है, और इसके खंड (b) के अनुसार, समिति का प्रबंध मंडल उपविधियों के अनुसार अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करने का अधिकार रखता है।

धारा 49 की उपधारा (1) "वार्षिक सामान्य सभा" की परिकल्पना करती है और यह उपबन्ध करती है कि प्रत्येक समिति को, अंतिम वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से बारह माह की अवधि के भीतर, अपने सदस्यों की एक सामान्य सभा बुलानी होगी, जिसका उद्देश्य उपधारा (1) के खंड (a) से (f) में वर्णित कार्यों को सम्पन्न करना होगा।

धारा 49(b) यह कहती है कि वार्षिक सामान्य सभा का उद्देश्य होगा — "यदि समिति के सदस्यों का निर्वाचन अपेक्षित हो तो, उसका निर्वाचन"। धारा 49(1)(b) की व्याख्या यह कल्पना करती है कि — "यदि समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो और वह वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से तीन माह की अवधि में समाप्त हो रहा हो, तो समिति का निर्वाचन अपेक्षित माना जाएगा"।



धारा 49 की उपधारा (6) यह कल्पना करती है कि "(i) यदि समिति के उपविधियों में खंड (7) के अंतर्गत भौगोलिक आधार पर समिति के सभी या कुछ सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान हो, तो उन क्षेत्रों के सदस्यों की एक बैठक में, उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार, उस सामान्य सभा की तिथि से पूर्व, समिति के उन सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा।"

धारा 49 की उपधारा (7-A) यह उपबन्ध करती है कि "समिति का कार्यकाल उस तिथि से पाँच वर्ष होगा जिस तिथि को समिति की प्रथम बैठक आयोजित की जाती है।" उपबंध प्रासंगिक नहीं है, अतः लुप्त किया गया। उपधारा (7-A) के खंड (ii) में यह कल्पना की गई है कि "समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उसी समिति के कार्यकाल के समानांतर होगा, जिसके लिए वह प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया है।" यद्यपि, उस खंड में यह उपबंध भी है कि "किसी समिति का प्रतिनिधि तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उस समिति का कार्यकाल समाप्त न हो जाए, जिसकी वह सदस्यता रखता है।" (बल दिया गया)

धारा 49 की उपधारा (7-AA) यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार कारणों को स्पष्ट करते हुए अधिसूचना द्वारा किसी समिति अथवा समितियों के वर्ग के कार्यकाल को समय-समय पर अधिकतम बारह माह तक बढ़ा सकती है।

धारा 49 की उपधारा (7-AAA) यह कल्पना करती है कि:

"यद्यपि उपधारा (7-AA) में अधिकतम अठारह माह की अवधि समाप्त हो गई हो, तथापि दिनांक 7 मई 1988 (जिसे आगे 'उक्त तिथि' कहा गया है) से लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2004 के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक, उक्त अवधि के मध्य के सभी समितियों के कार्यकाल को, उक्त तिथि से प्रभावशील छह माह की अवधि तक, ऐसा माना जाएगा मानो उक्त तिथि को उपधारा (7-AA) के अंतर्गत कार्यकाल बढ़ाने हेतु अधिसूचना जारी की गई हो।"

उपधारा (8) पूर्व में उद्धृत की जा चुकी है, अतः पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

18. उपर्युक्त उल्लेखित उपबन्धों का समवेत पाठ यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि विधायिका का आशय यह है कि समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, उपधारा (7-A) के अधीन या उपधारा (7-AA) के अधीन विस्तारित समयावधि की समाप्ति से पूर्व चुनाव कराना निवर्तमान समिति का दायित्व होगा। निवर्तमान समिति को उचित समयावधि में पंजीयक से चुनाव कराए जाने हेतु आवेदन करना होगा, "जो किसी भी स्थिति में समिति के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व नहीं होना चाहिए" (बल दिया गया)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समिति के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व चुनाव कराना निवर्तमान प्रबंध समिति का कर्तव्य है।

19. प्रथम उपबंध के अधीन, यदि निवर्तमान समिति ने प्रस्ताव पारित कर पंजीयक से चुनाव कराने का अनुरोध किया हो और पंजीयक उस अनुरोध पर चुनाव कराने में असफल रहा हो, तो पंजीयक के विरुद्ध एक विधायी निषेध आदेश प्रभावी होता है कि "वह समिति का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा और समिति के सदस्य पद पर बने



रहेंगे।” द्वितीय उपबंध के अधीन, यदि पंजीयक समिति के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से नब्बे दिन के भीतर चुनाव कराने में असफल रहता है, तो समिति को रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो समिति का चुनाव कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर सम्पन्न कराएगा। उपधारा 8(ii) तथा द्वितीय उपबंध की सम्मिलित व्याख्या यह सिद्ध करती है कि यद्यपि प्रथम उपबंध के प्रभाव से समिति के सदस्य अपने पदों पर बने रहने के अधिकारी हैं, तथापि यह समिति का कर्तव्य भी है कि यदि पंजीयक अपेक्षानुसार चुनाव कराने में असफल रहता है, तो वह रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करे, जिसका दायित्व होगा कि वह समिति का चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व 180 दिनों के भीतर सम्पन्न कराए। यदि प्रथम उपबंध के प्रभाव से पद पर बनी समिति उपधारा 8(ii) के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने में विफल रहती है तथा समिति इस प्रकार चुनाव कराने में चूक करती है और कार्यकाल की समाप्ति (उपधारा 7-A या 7-AA के अधीन) के पश्चात पंजीयक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को कार्यभार हस्तांतरित नहीं करती, तो सभी सदस्यों को उनके पद से स्वतः पदच्युत मान लिया जाएगा और पंजीयक कार्यभार ग्रहण कर शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराएगा। अतः इन धाराओं का समवेत पाठ यह सूचित करता है कि समिति के अनुरोध पर पंजीयक को निवर्तमान समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्धारित समय-सारणी के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। यदि पंजीयक इस कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहता है, तो प्रबंध समिति को, पद पर रहते हुए, यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव 180 दिनों के भीतर अथवा कम से कम 90 दिन पूर्व सम्पन्न हो जाए। परन्तु यदि समिति चुनाव कराने में चूक करती है, तो समिति के सदस्य अपने पदों से पदच्युत माने जाएंगे, जिससे विधिक दृष्टि से कोई प्रबंध समिति अस्तित्व में नहीं रह जाएगी। अतः पंजीयक को समाज का कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने पर, समाज के कार्यों का संचालन करते हुए, उसे शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराना होगा ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांत पर निर्वाचित प्रबंध समिति शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर समाज का संचालन अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुसार करे तथा समाज के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सदस्यों की सामूहिक अभिलाषा की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। (बल दिया गया)

18. इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रदत्त निर्णयों — *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य* (पूर्वोक्त 1) तथा *राजेन्द्र प्रसाद यादव विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य* (पूर्वोक्त 2) — पर स्पष्ट रूप से आश्रय लिया है, जिसमें *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री* के निर्णय पर ही आश्रय लिया गया है। *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री* के मामले में, अधिनियम की धारा 49(B) के हूबहू समान संशोधित उपबन्ध की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जैसा कि इन याचिकाओं में विचाराधीन है। खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“11. सहकारी आन्दोलन, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, शोषण को सीमित करने एवं सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एक प्रभावी लोकतांत्रिक साधन है। *बी. के. गरुड विरुद्ध नासिक मर्चेन्ट्स सहकारी बैंक लिमिटेड*, (AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 192) में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सहकारी आन्दोलन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गढ़ने के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, गणराज्य मनुष्यों और संस्थाओं से बनता है, और सहकारी समितियाँ ऐसी संस्थाएँ हैं। ऐसी स्थिति में यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि सहकारी आन्दोलन का उद्देश्य संविधान में निहित लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना है।



फिर भी, एक सहकारी समिति का संचालन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के निजी नियंत्रण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि *भंडारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड विरुद्ध* महाराष्ट्र राज्य, (AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 59) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट होता है। 'सहकारी सोसाइटी' को एक ऐसी संगठनात्मक रूपरेखा के रूप में समझा गया है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति हेतु लोकतांत्रिक साधनों और कार्यप्रणाली द्वारा सम्मिलित होते हैं। यहाँ 'सहयोग' पर बल है। इस कारण से, यथासंभव अधिक से अधिक सदस्यों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

अतः यह स्पष्ट है कि यदि आक्षेपित संशोधन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह के प्रबंधनाधिकार के एकाधिकार को समाप्त करना है, तो वह न तो अनुचित है और न ही अन्यायपूर्ण। विपरीत रूप में, यदि उक्त संशोधन का परिणाम निर्वाचित सदस्यों को समिति के कार्य संचालन से अनुचित रूप से वंचित करना है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए विघातक होगा।

क्या यह कहा जा सकता है कि आक्षेपित संशोधन इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि निर्वाचित सदस्य समिति पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलने नहीं दे रहे थे? वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक देना कठिन है। संशोधन से पूर्व जो विधि प्रभाव में थी, उसमें न केवल ऐसे चूककर्ता समिति को अपदस्थ करने, बल्कि सदस्यों को उनके दोष हेतु दण्डित करने का भी समुचित प्रावधान था। पूर्ववर्ती प्रावधान समिति के सदस्यों के लिए किसी निहित स्वार्थ या समिति को निजी सम्पत्ति के रूप में चलाने की अनुमति नहीं देता था।

यदि प्रबंध समिति ने नए चुनाव हेतु प्रस्ताव पारित नहीं किया, तो उसे चूककर्ता माना जाता था और रजिस्ट्रार को उपधारा (5) के अंतर्गत ऐसे समिति और सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। अतः प्रबंधन में एकाधिकार की कोई सम्भावना नहीं थी।

यह अवश्य कहा गया कि यद्यपि निर्वाचित सदस्य को उसके कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहने का अधिकार हो सकता है, किंतु वह कार्यकाल समाप्ति के पश्चात ऐसा अधिकार दावा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी राज्य का यह कथन है कि निर्वाचित सदस्य कार्यकाल समाप्त होने के बाद समिति में बने रहने का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय को इस कथन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि कोई समिति अपने निर्धारित कार्यकाल से अधिक समय तक बने रहने का दावा नहीं कर सकती।

हालाँकि, यह इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न नहीं है। यदि कोई समिति अपनी नियत अवधि से अधिक समय तक बने रहने की आशय प्रकट कर रही है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य हो सकता है। किन्तु याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है और न ही प्रतिवादियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता समितियाँ कार्यकाल समाप्ति के पश्चात बने रहने की प्रवृत्ति दर्शा रही थीं।

वास्तविक स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता समितियों ने प्रस्ताव पारित कर रजिस्ट्रार से निवेदन किया था कि वह नए चुनाव हेतु रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करें। ऐसी स्थिति में वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम के



अंतर्गत अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का पालन न कर चुनाव आयोजित न करने वाले रजिस्ट्रार को उसके स्वयं के दोष का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है?

वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में देना कठिन है। संशोधन से पूर्व की स्थिति में विधि में ऐसी चूककर्ता समिति को अपदस्थ करने तथा सदस्यों को दण्डित करने हेतु पर्याप्त प्रावधान था। अतः पूर्ववर्ती व्यवस्था समिति के सदस्यों को कोई निहित अधिकार नहीं देती थी और न ही समिति को एक बंद संरक्षित संस्था के रूप में चलाने की अनुमति देती थी।

यदि प्रबंध समिति ने चुनाव हेतु प्रस्ताव पारित नहीं किया होता, तो वह चूककर्ता मानी जाती और रजिस्ट्रार को उपधारा (5) के अंतर्गत कार्रवाई का अधिकार होता। अतः प्रबंधनाधिकार के एकाधिकार की कोई सम्भावना नहीं थी।

हालाँकि यह कहा गया कि निर्वाचित सदस्य को अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहने का अधिकार हो सकता है, लेकिन वह कार्यकाल समाप्ति के पश्चात ऐसा दावा नहीं कर सकता। इस बात को स्वीकार करने में न्यायालय को कोई कठिनाई नहीं है कि कोई समिति अपने निर्धारित कार्यकाल से अधिक समय तक बने रहने का दावा नहीं कर सकती।

लेकिन यह प्रकरण का प्रमुख प्रश्न नहीं है। यदि कोई समिति अपनी नियत अवधि से अधिक समय तक बने रहने की मंशा प्रकट करती है, तो कार्रवाई हो सकती है, परंतु याचिकाकर्ता समितियों द्वारा ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई गई है। वास्तव में, उन्होंने रजिस्ट्रार से अनुरोध कर रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित किया।

ऐसी स्थिति में वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या रजिस्ट्रार, जो अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया, उसे अपने दोष का लाभ मिलना चाहिए?

यदि इस मामले को रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर की चूक के संदर्भ में देखा जाए, और निर्णय लोकतांत्रिक लक्ष्य तथा समाज के सदस्यों के अधिकारों के संदर्भ में लिया जाए, तो यह प्रावधान प्रथम दृष्टया असंगत एवं मनमाना प्रतीत होता है।

ऐसी ही स्थिति आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने *एम. रंगा रेड्डी विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य*, (AIR 1989 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 81) में विचार की थी, और यह निर्णय दिया था कि यदि कोई समिति अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नए निकाय के चुनाव हेतु वैधानिक रूप से सभी आवश्यक कार्यवाही कर चुकी है, तो वह कर्तव्य में कोई चूककर्ता नहीं मानी जा सकती और यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी विधिसम्मत समिति प्रबंधन में बने रहने में किसी प्रकार की अयोग्यता रखती है जब तक कि चुनाव न हो जाए।

उपरोक्त निष्कर्ष रजिस्ट्रार की चूक के परिप्रेक्ष्य में निकाला गया, जो चुनाव कराने हेतु उत्तरदायी था और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सका। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय इस तर्क का समर्थन करता है कि एक



आज्ञाकारी, विधिसम्मत एवं निर्वाचित प्रबंध समिति, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और एक चूककर्ता तथा विधि उल्लंघन करने वाले रजिस्ट्रार में, यह अधिक उचित है कि समिति तब तक कार्य करती रहे जब तक कि नए चुनाव न हो जाएँ।

यह व्यवस्था असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि संशोधन से पूर्व की विधि ऐसी स्थिति की अनुमति देती थी। यदि पूर्व की व्यवस्था संवैधानिक रूप से वैध थी और अन्यथा न्यायसंगत तथा उचित थी, तो यह कहा जा सकता है कि उसे एक अन्यायपूर्ण और अनुचित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

इस प्रावधान और इससे प्राप्त होने वाले उद्देश्य के बीच कोई उचित संबंध नहीं है। उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण से स्पष्ट है कि इस संशोधन का उद्देश्य समिति के लोकतांत्रिक संचालन को प्रोत्साहित करना है, जो केवल नए चुनाव के माध्यम से संभव हो सकता है।

उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रार को समय सीमा में कार्य करने एवं कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराने के लिए बाध्य करने वाला प्रावधान बनाया जाना अपेक्षित था। किंतु आक्षेपित संशोधन रजिस्ट्रार की चूक को बढ़ावा देता है और उसे समिति का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार देता है। यह प्रावधान प्रथम दृष्टया मनमाना है।

12. स्पष्टतः, वर्तमान संशोधन द्वारा विधान मंडल का उद्देश्य विफल हो जाता है। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस संशोधन के दुरुपयोग की संभावना भी वास्तविक है। चूँकि रजिस्ट्रार एक विशेष राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह राजनीतिक दल रजिस्ट्रार के माध्यम से समितियों को नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार, यह प्रावधान स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति को सुनिश्चित करने की अपेक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने और विघटन उत्पन्न करने की अधिक संभावना रखता है। अतः ऐसा प्रावधान मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, और इस प्रकार इसे अवैध घोषित किया जाता है।" (बल सहित)।

19. राज्य तमिलनाडु एवं अन्य बनाम आनंथी अम्माल एवं अन्य ¹में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया गया:—

"7. जब कोई विधिक उपबंध संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय को यह निर्णय करना होता है कि क्या उक्त विधिक उपबंध इतना मनमाना अथवा तर्कहीन है कि उसे असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम स्थिति में, यदि समान विषयवस्तु पर आधारित कोई अन्य विधि, जो किसी पृथक् स्रोत से प्राधिकृत है, अपने प्रावधानों की तर्कसंगतता सिद्ध कर चुकी है या काल की कसौटी पर खरी उतरी है, तो उसे केवल यह प्रदर्शित करने हेतु संदर्भित किया जा सकता है कि किसी विशेष प्रसंग में क्या तर्कसंगत माना जा सकता है।"

20. अब मैं अधिनियम की धारा 49 में समाविष्ट आक्षेपित उपबंधों की समीक्षा करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करता हूँ। छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ अधिनियम की उद्देशिका इस प्रकार है: "एक अधिनियम, जो सहकारिताओं को संगठित करने तथा उन्हें आत्म-सहायता और पारस्परिक सहायता पर



आधारित जन-संस्थाओं के रूप में विकसित करने तथा शोषण को समाप्त करने एवं विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्मित है।"

21. उपधारा 49 में समाविष्ट की गई आक्षेपित संशोधन की वस्तुनिष्ठ एवं कारण-कारक प्रस्तुति (statement of objects and reasons) का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य शासन का यह अभिमत था कि समितियों की कार्यकारिणी अवधि को 12 माह से बढ़ाकर 36 माह किए जाने से, जो कि धारा 49 की उपधारा (7-AA) के संशोधन द्वारा किया गया, सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक संरचना पर प्रभाव पड़ा। अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आक्षेपित संशोधन को अधिनियमित किया गया, जिसके अंतर्गत उपधारा (7-AA) तथा उपधारा (7-AAA) को विलोपित कर दिया गया तथा उपधारा (8)(i) एवं (ii) के स्थान पर एक नई उपधारा (8) प्रतिस्थापित की गई, जिसका ऊपर भी उल्लेख हो चुका है। जैसा कि पूर्व में वर्णित है, संशोधन से पूर्व की स्थिति में उपधारा (8)(i) के अंतर्गत यह अनिवार्य था कि समाज की निवर्तमान समिति, उपधारा (7-A) अर्थात् पाँच वर्ष अथवा उपधारा (7-AA) अर्थात् 36 माह की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पूर्व चुनाव आयोजित कराए।

इस प्रयोजनार्थ, निवर्तमान समिति पर यह विधिक दायित्व था कि वह समिति की कार्यावधि की समाप्ति से कम-से-कम 90 दिन पूर्व पंजीयक के समक्ष चुनाव आयोजित करने हेतु आवेदन करे। यदि ऐसा किया जाता, तो यह निवर्तमान समिति के चुनाव कराने के आशय को दर्शाता, जो अधिनियम के अंतर्गत गठित सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक संरचना के अनुकूल होता, ताकि नवीन निर्वाचित समिति कार्यभार ग्रहण कर सके। अधिनियम की उपधारा (8)(i) के प्रथम उपबंध के अनुसार, एक बार जब निवर्तमान समिति ने प्रस्ताव पारित कर लिया और कार्यावधि समाप्त होने से पूर्व कम-से-कम 90 दिन पहले पंजीयक को निवेदन किया, तो पंजीयक पर यह वैधानिक निषेध आरोपित होता कि वह समिति का कार्यभार न ग्रहण करे और समिति के सदस्य अपने पद पर बने रहें। परंतु यह स्थिति अनंतकाल तक नहीं रह सकती थी।

द्वितीय उपबंध पंजीयक को यह दायित्व सौंपता था कि वह समिति की कार्यावधि समाप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न कराए। यदि पंजीयक ऐसा नहीं करता, तो प्रबंध समिति पंजीयक की चूक से लाभ उठाकर अनिश्चितकाल तक पद पर नहीं रह सकती थी। अधिनियम की उपधारा (8)(i) के द्वितीय उपबंध की यह अनिवार्यता थी कि यदि पंजीयक कार्यावधि समाप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव आयोजित करने में विफल रहता, तो समिति पर यह वैधानिक दायित्व था कि वह रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करे, जो कार्यावधि समाप्त होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर समिति का चुनाव संपन्न कराए।

उपधारा (8) के उपखंड (ii) में स्पष्ट निर्देश था कि यदि समिति चुनाव कराने तथा उपधारा (7-A) अर्थात् पाँच वर्ष अथवा उपधारा (7-AA) अर्थात् 36 माह की विस्तारित अवधि के समाप्त होने पर कार्यभार सौंपने में विफल रहती है, तो समिति के सभी सदस्य अपने पदों को रिक्त मान लिए जाएंगे और पंजीयक कार्यभार ग्रहण कर शीघ्रातिशीघ्र चुनाव आयोजित करेगा। इस प्रकार, उपधारा (8)(i), जैसा कि आक्षेपित संशोधन से पूर्व अस्तित्व में था, समिति एवं पंजीयक दोनों की चूक के विरुद्ध जाँच और संतुलन की व्यवस्था प्रदान करता था और किसी को भी उसकी चूक का लाभ नहीं देता था।



यदि अधिनियम की उपधारा (8) को उपधारा [7-A(i)], उपधारा (7-AA) तथा उपधारा (7-AAA) के साथ पढ़ा जाए, तो यह पूर्णतः स्पष्ट था कि उपधारा [7-A(i)] अथवा उपधारा (7-AA) में निर्दिष्ट विस्तारित अवधि की समाप्ति से पूर्व यदि समिति प्रस्ताव पारित कर चुनाव आयोजित करने हेतु पंजीयक को एक युक्तियुक्त समयावधि (अर्थात् कार्यावधि समाप्त होने से कम-से-कम 90 दिन पूर्व) में आवेदन प्रस्तुत करती, तो पंजीयक के विरुद्ध कार्यभार ग्रहण करने की वैधानिक निषेधाज्ञा प्रभाव में आ जाती, जो समिति की कार्यावधि की समाप्ति के 90 दिन उपरांत तक लागू रहती, परंतु उससे आगे नहीं। उसके पश्चात् समिति पर यह दायित्व आ जाता कि वह रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर, कार्यावधि की समाप्ति की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव संपन्न कराए।

उपधारा (7-AA) तथा उपधारा (7-AAA) को विलोपित करने और संशोधित उपधारा (8) में उपधारा (8)(i) को प्रतिस्थापित करने का प्रभाव यह हुआ कि समिति की कार्यावधि समाप्त होते ही पंजीयक स्वचालित रूप से समिति का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेता, और उसके बाद चुनाव कराने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई, जिससे यह आशय निकलता है कि पंजीयक चुनाव प्रक्रिया को निष्फल कर सकता है और अनिश्चितकाल तक पद पर बना रह सकता है।

इस प्रकार, पंजीयक की चुनाव न कराने की चूक को पुरस्कृत करने की व्यवस्था हो जाती है। यह स्पष्ट है कि आक्षेपित संशोधन का प्रभाव यह है कि यह प्रबंधन समिति के निर्वाचित सदस्यों को अधिनियम की धारा 49(8) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत समिति के कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर अनुचित रूप से वंचित करता है।

अतः, आक्षेपित संशोधन सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक संरचना को विघटित करने वाला है तथा छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ अधिनियम की उद्देशिका के प्रतिकूल है।

22. अधिनियम की धारा 49 में संशोधन लाने के हेतु वस्तुनिष्ठ विषय-वस्तु एवं कारणों का विवरण वस्तुतः विपरीत रूप में सत्य है, क्योंकि यह संशोधन अधिनियम के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित सहकारी संस्थाओं की लोकतांत्रिक संरचना को विध्वस्त करने वाला है। यह तथ्य कि उक्त संशोधन राज्य विधानमंडल द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही अधिनियमित कर दिया गया, जोकि 180 दिनों की थी, जिसके दौरान समिति प्रबंध तंत्र पर नियुक्त प्रबंधन समिति की यह बाध्यता थी कि वह समिति के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करे, स्पष्टतः यह दर्शाता है कि आक्षेपित संशोधन रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर की चूक पर प्रोत्साहन प्रदान करता है और निर्वाचित प्रबंधन समितियों को उस 180 दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से बाहर कर देता है, जिसके भीतर उन्हें समिति का निर्वाचन कराना अनिवार्य था।

यह संशोधन रजिस्ट्रार को ऐसी निरंकुश शक्ति प्रदान करता है जिससे वह प्रबंधन समिति के नियंत्रण की स्थिति में अनिश्चितकाल तक बना रह सके, जिसकी कोई वैधानिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः, आक्षेपित संशोधन तथा उससे प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के मध्य कोई तार्किक संबंध नहीं है। उद्देश्य, जो कि कारणों और वस्तुनिष्ठ विषय-वस्तु से स्पष्ट है, यह था कि संस्था की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना, जिसे केवल नवीन निर्वाचन के आयोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है।



उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के स्थान पर, जो कि संभवतः एक ऐसे प्रावधान की अधिनियमन की अपेक्षा करता था, जिससे रजिस्ट्रार को निश्चित समय-सीमा में कार्य करने और कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन कराने हेतु विवश किया जा सके, आक्षेपित संशोधन रजिस्ट्रार की चूक पर ही प्रोत्साहन देता है और उसे संस्था का प्रबंधन संभालने तथा चूक कर अधिकार में बने रहने का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान *prima facie* (प्रथम दृष्टया) मनमाना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विध्वंसकारी है।

रजिस्ट्रार, जो कि एक अधिकारी होता है और किसी विशेष राजनीतिक दल के अधीन कार्यरत सरकार के अधीनस्थ होता है, उसके माध्यम से उस राजनीतिक दल द्वारा सहकारी संस्थाओं को नियंत्रित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पष्टतः, यह प्रावधान शरारतपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विध्वंस की दिशा में अधिक प्रभावी है, न कि स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति को सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन कराने की दिशा में।

ऐसा प्रावधान *per se* (स्वतः) ही मनमाना एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला है, और इस प्रकार इसे विधिसम्मत रूप में ऐसा ही घोषित किया जाता है।

23. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा यह विधिसम्मत रूप से स्थिर सिद्धांत स्थापित किया गया है कि किसी अधिनियम द्वारा किसी समूह विशेष अथवा किसी संस्था के पक्ष में प्रदत्त वर्तमान विधिक अधिकारों को संशोधन के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान विधि के अधीन, अर्थात् आक्षेपित संशोधन से पूर्व अधिनियम की धारा 49(8) के अंतर्गत, यदि समिति के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा निर्वाचन संपन्न नहीं कराया जाता था, तो ऐसी स्थिति में समिति को प्रबंधन कार्य का संचालन जारी रखने का एक वर्तमान वैधानिक अधिकार प्राप्त था तथा समिति इस बाध्यता के अधीन थी कि वह कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर निर्वाचन कराने हेतु एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करे।

इस परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ सहकारी समाज अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रबंध समिति को यह वर्तमान विधिक अधिकार प्राप्त था कि वह उक्त अधिनियम के अधीन 180 दिनों की अवधि के भीतर निर्वाचन संपन्न करवा सके। आक्षेपित संशोधन स्पष्टतः प्रबंध समिति के इस वर्तमान विधिक अधिकार को निरस्त कर देता है और इस प्रकार यह संशोधन भेदभावकारी है तथा सहकारी समिति के लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो कि सहकारी समाजों के प्रबंधन को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक है। अतः विधि की दृष्टि से, आक्षेपित संशोधन द्वारा, धारा 8(1) के द्वितीय उपबन्ध में उल्लिखित 180 दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन कराने हेतु जो वर्तमान विधिक अधिकार था, उसे निरस्त नहीं किया जा सकता।

24. विचारार्थ एक अन्य प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि क्या आक्षेपित संशोधन को एक वैधता प्रदायक विधिक उपबंध (validating legislation) माना जा सकता है?



25. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद *आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध मैकडोवेल एण्ड कम्पनी एवं अन्य* में प्रतिपादित किया गया है, यह अब स्थापित विधिक सिद्धांत है कि किसी विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि को न्यायालय द्वारा केवल दो आधारों पर ही निरस्त किया जा सकता है— (i) विधायी अधिकारक्षमता की कमी के आधार पर अथवा (ii) संविधान के भाग-III में प्रदत्त मूल अधिकारों या संविधान के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर। निरस्तीकरण (invalidation) का आधार इन्हीं दोनों सीमाओं के भीतर आता है।

26. प्रकरण *आई. एन. सक्सेना विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा आर. डी. डूंगाजी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य* में, विधायी तथा न्यायिक कृत्यों के मध्य अंतर को संक्षेप में निम्न प्रकार से निरूपित किया गया:

"22. जबकि विधायी तथा न्यायिक कार्यों के इस अंतर के परिप्रेक्ष्य में यह मान्य नहीं है कि विधानमंडल केवल एक साधारण घोषणा द्वारा, बिना अधिक कुछ किए, किसी न्यायिक निर्णय को सीधे अस्वीकार, उलट अथवा अतिक्रमित कर दे, तथापि संविधान के अनुच्छेद 245 तथा 246 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के प्रयोग में, वह किसी ऐसे विषय पर वैध विधि बनाकर—जो उसके विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आता है—किसी न्यायिक निर्णय को अप्रभावी बना सकता है, बशर्ते वह विधि उस आधार को मूलतः परिवर्तित करे, अथवा पूर्वलक्ष्यी (retrospective), उपचारात्मक (curative) या निष्प्रभावी (neutralizing) प्रभाव डालते हुए उन परिस्थितियों को बदल दे जिन पर वह निर्णय आधारित था। जैसा कि *इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राज नारायण* वाद में मुख्य न्यायाधीश रे (Ray, C.J.) ने इंगित किया था, सक्षम न्यायालयों एवं अधिकरणों के निर्णयों अथवा आदेशों को विधायी अधिनियम द्वारा उनके आधार को परिवर्तित कर अप्रभावी बना देना—यह सभी वैधता-प्रदायक अधिनियमों (validating Acts) की एक सुविदित विधिक प्रवृत्ति रही है। ऐसा वैधता-प्रदायक विधान, जो किसी कृत्य या कार्यवाही की निरर्थकता या अमान्यता के कारणों को समाप्त कर दे, न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण नहीं माना जाता।"

यह रहा अनुच्छेद 27 का औपचारिक हिन्दी अनुवाद, जिसमें *Indian Aluminium Co. and others v. State of Kerala and others* को भी हिन्दी में लिखा गया है, आपके सभी निर्देशों का पालन करते हुए (संख्याएँ यथावत्, "virudhh" का प्रयोग, आदि):

27. **भारतीय एल्युमिनियम कंपनी एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य⁶** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया—

"वैधता अधिनियम (Validating Act) की वैधता का परीक्षण निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर किया जाना है:

- (i) क्या वैधता अधिनियम को अधिनियमित करने वाली विधायिका को विषय-वस्तु पर विधायी अधिकार प्राप्त है;
- (ii) क्या वैधता के माध्यम से विधायिका ने उस दोष को दूर कर दिया है जिसे पूर्ववर्ती विधि में न्यायालय ने चिन्हित किया था;
- (iii) क्या वैधता विधि, भारतीय संविधान के अध्याय III के प्रावधानों के अनुरूप है।



यदि उपर्युक्त सभी परीक्षण संतोषजनक पाए जाएँ, तो अधिनियम उन पूर्ववर्ती लेन-देन को वैध कर सकता है जिन्हें न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। विधायिका मात्र अधिनियम के अधिनियमन के आधार पर यह अधिकार ग्रहण नहीं कर सकती कि वह किसी वाद का निर्णय स्वयं कर दे, बल्कि उसे यह निर्णय न्यायपालिका पर छोड़ना आवश्यक है, जो कि उस समय प्रभावी विधि के अनुसार निर्णय करेगी। इसके अतिरिक्त, विधायिका न्यायालय के निर्णय को उस आधार को विधिवत हटाए बिना निष्प्रभावी नहीं कर सकती जिस पर वह निर्णय आधारित था।

आक्षेपित पक्षों के अधिकारों का निर्णय देना एक मौलिक न्यायिक कार्य है। विधायिका का कर्तव्य है कि वह आचरण के मानदंड अथवा नियम बनाए जो पक्षकारों तथा उनके बीच के लेन-देन को नियंत्रित करें और जिनके आधार पर न्यायालय कार्यवाही करते हुए प्रभाव दे सके। संविधान द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संप्रभु अधिकारों के प्रयोग में एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया गया है। एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ विधि का शासन हो, वहाँ विधायिका संविधान के अनुच्छेद 245 तथा 246 तथा उनसे संबंधित अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत तथा सप्तम अनुसूची में उल्लिखित प्रविष्टियों के साथ पढ़कर विधि बनाने का कार्य करती है, जिसमें विधि में संशोधन का अधिकार भी सम्मिलित है। न्यायालय, जो अपनी चिंता और प्रयासों द्वारा न्यायिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन्हें भी संविधान द्वारा स्थापित तीनों संप्रभु इकाइयों के मध्य इस सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखने हेतु सावधान रहना चाहिए।

ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि विधि के शासन की मूलभावना संविधान के सामाजिक समानतामूलक उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु संपूर्ण समाज में व्याप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संप्रभु इकाई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जिससे सामाजिक प्रगति और व्यवस्था की निरंतरता बाधित न हो। यह सूक्ष्म संतुलन अत्यंत सतर्कता से बनाए रखा जाना चाहिए।

न्यायिक अधिकारों की रक्षा की अत्यधिक चिंता करते हुए अत्यधिक सक्रियता दिखाना तथा विधिवत बनाए गए वैध विधि को अमान्य ठहराने हेतु न्यायपालिका के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप उत्पन्न करना आवश्यक नहीं है।

विधायी शक्ति के प्रयोग में, विधायिका मात्र एक घोषणा के माध्यम से, बिना किसी ठोस कार्यवाही के, किसी न्यायिक निर्णय को प्रत्यक्षतः पलट नहीं सकती, न ही उसे संशोधित कर सकती है और न ही निष्प्रभावी बना सकती है। तथापि, वह न्यायिक निर्णय को अप्रभावी बना सकती है यदि वह वैध अधिनियम बनाकर, अपनी विधायी सीमा के अंतर्गत, उस विषय में ऐसी विधि बनाती है जो कि उस विधि की प्रकृति को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दे या उसे पूर्वप्रभाव से संशोधित कर दे। परंतु, ऐसा परिवर्तन इस प्रकार का होना चाहिए कि यदि यह स्थिति पहले से विद्यमान होती, तो न्यायालय उस विधि को अमान्य घोषित न करता।”

28. एम/एस उजागर प्रिंट्स एवं अन्य (द्वितीय) बनाम भारत संघ एवं अन्य² तथा क्वालिटी सिल्क मिल्स कंपनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य⁷ के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया गया—



“एक सक्षम विधायिका सदैव उस विधि को वैध घोषित कर सकती है जिसे न्यायालयों द्वारा अमान्य घोषित किया गया हो, बशर्ते कि उद्घोषणात्मक निर्णय (declaratory judgment) में इंगित त्रुटियाँ एवं दोषपूर्ण कारक या तो समाप्त कर दिए गए हों अथवा उनका निराकरण कर दिया गया हो। इस प्रकार का वैधता प्रदान करने वाला एवं उपचारात्मक विधायी उपाय — जिसमें विधायिका को विधायी अधिकार प्राप्त होता है — पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय को अप्रासंगिक एवं अप्रवर्तनीय बना देता है, और इसे न्यायिक निर्णय के विधायिका द्वारा अवैध रूप से पलटने (impermissible legislative overruling) की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

विधायिका जो करती है वह केवल यह है कि वह पूर्वप्रभाव (retrospective effect) के साथ एक वैध विधि को अधिनियमित करती है, जिसके आलोक में पूर्ववर्ती निर्णय अप्रासंगिक हो जाता है। इस प्रकार की वैधता प्रदान करने की विधायी प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होती है और प्रायः कर-विधान (taxing statutes) में प्रयुक्त की जाती है। न्यायालय, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, वैधता अधिनियम की आवश्यकता अथवा पूर्वप्रभावी विधायिका की बुद्धिमत्ता पर अपने निर्णय से उसे निष्प्रभावी करने से प्रायः परहेज करते हैं।”

29. सुप्रीम कोर्ट द्वारा *आई. एन. सक्सेना* (पूर्वोक्त 5) में प्रतिपादित सिद्धांतों के मानदंड पर चुनौतीयुक्त संशोधन का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त संशोधन किसी भी प्रकार से वैधता प्रदान करने वाला विधायी उपक्रम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह उस दोष को नहीं हटाता जिसे न्यायालय ने पूर्ववर्ती विधि में *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री* (पूर्वोक्त 1) के प्रकरण में पाया था, तथा वही संशोधन शब्दशः पुनः प्रस्तुत करता है। यह संशोधन केवल *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री* (पूर्वोक्त 1) में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निष्प्रभाव करने का प्रयास मात्र है, बिना उस आधार को विधिपूर्वक समाप्त किए, जिस पर वह निर्णय आधारित था।

भारतीय एल्युमिनियम कम्पनी एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त 6) तथा *एम/एस उजागर प्रिंट्स एवं अन्य (भाग द्वितीय) बनाम भारत संघ एवं अन्य* (पूर्वोक्त 7) पर आधारित होकर, मैं इस दृढ़ मत पर हूँ कि आक्षेपित संशोधन को छत्तीसगढ़ राज्य की विधायिका द्वारा किया गया कोई वैधता प्रदान करने वाला उपचारात्मक विधायी उपक्रम नहीं माना जा सकता। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और दिनांक 01.11.2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व *अनुरुद्ध प्रसाद शास्त्री* (पूर्वोक्त 1) में दिया गया निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य में भी वर्षों तक प्रभावी रूप से लागू रहा था। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य की विधायिका उसी संशोधन को शब्दशः पुनः धारा 49 में प्रस्तुत नहीं कर सकती थी, जैसा कि उसने किया।**

30. उपर्युक्त परिस्थितियाँ मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ब्रैन्डाइस द्वारा सन् 1928 में कही गई बात की स्मृति दिलाती हैं:

“विधिओं पर आधारित शासन में, यदि सरकार स्वयं विधि का समुचित पालन करने में विफल रहती है, तो उसकी सत्ता संकट में पड़ जाती है; यदि सरकार स्वयं ही विधि तोड़ने वाली बन जाती है, तो वह विधि के प्रति घृणा को जन्म देती है; वह प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए विधि बनने के लिए आमंत्रित करती है; वह अराजकता को आमंत्रण देती है...”



हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम इन शब्दों को दोहराएँ और इनके महत्व को रेखांकित करें। यदि सरकार स्वयं ही विधि का उल्लंघन करती है, यदि वह न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करती है, तो फिर वह नागरिकों से किस नैतिक अधिकार से विधि के प्रति सम्मान की अपेक्षा कर सकती है? ऐसे उल्लंघनों के परिणाम तुरंत दृष्टिगोचर नहीं होते; सरकारें ऐसे उल्लंघनों से बच निकल सकती हैं और अपने अल्पकालिक राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती हैं; किन्तु दीर्घकाल में वे संवैधानिक प्रणाली को दुर्बल एवं नष्ट कर देती हैं, तथा विधिशासन के सिद्धांत को निष्प्रभाव कर देती हैं।”

31. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त सभी याचिकाएँ सफल होती हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समाज अधिनियम, 1960 की धारा 49 में किया गया आक्षेपित संशोधन अधिनियम के अधीन सहकारी संस्थाओं की परिकल्पित लोकतांत्रिक संरचना के विरुद्ध, मनमाना एवं विधि के अधिकार क्षेत्र से परे (अल्ट्रा वायर्स) होने के कारण निरस्त किया जाता है। इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि अधिनियम की धारा 49 में वह स्थिति जो उक्त आक्षेपित संशोधन से ठीक पहले अस्तित्व में थी, यथावत प्रभावी बनी रहेगी।



हस्ताक्षरित/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
14.12.2006

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shraddha Raj Jyotishi (Advocate)

